तृतीय वार्षिक रिपोर्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

(अप्रैल 1, 2007 से मार्च 31, 2008)

# राज्य सूचना आयोग
# हिमाचल प्रदेश

कमरा न0 222
आर्मजडेल भवन
हि0प्र0 सचिवालय
शिमला–171002

दूरभाष 0177–2621904
टैलिफैक्स 0177–2621529
ई मेल– SCIC-hp@nic.in

# विषय सूची


संक्षिप्त आंकडे (i-iv)

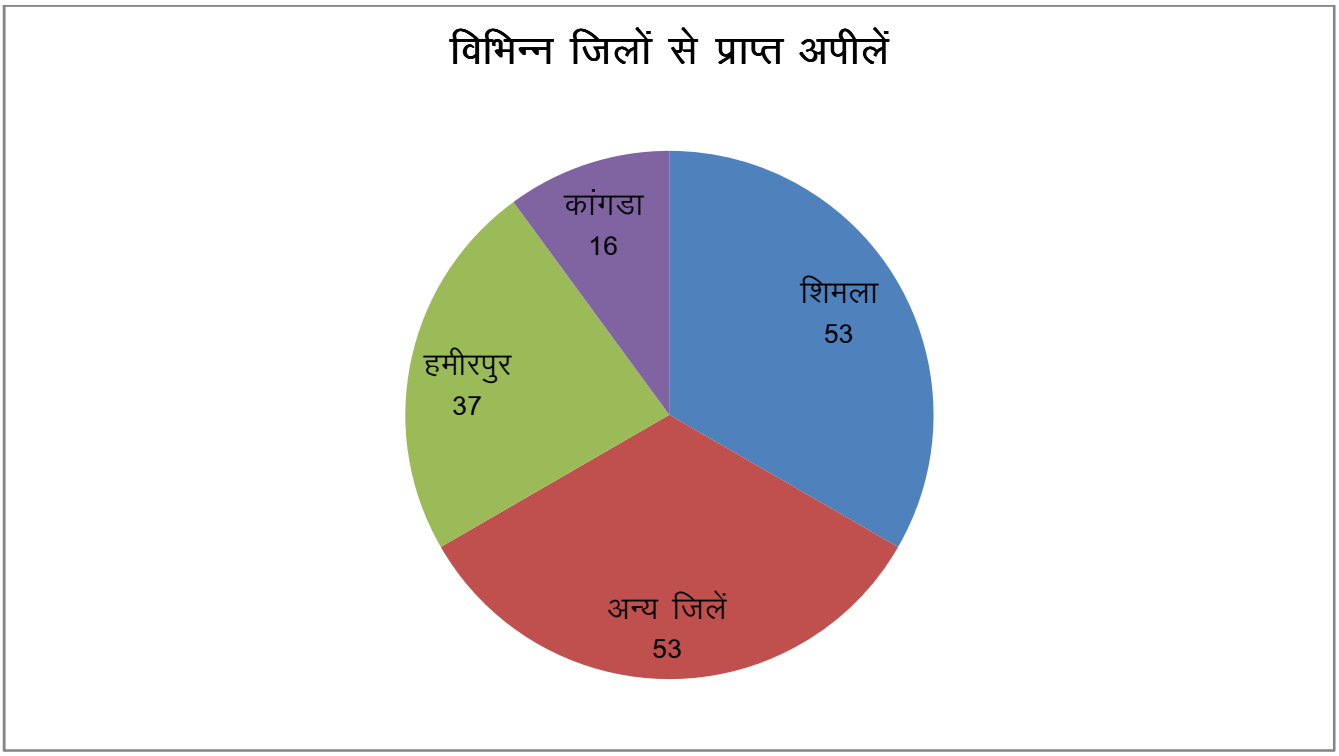
| अध्याय संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | अध्याय | |
| 1. | परिचय | 1—3 |
| 2. | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएं तथा इसके अन्तर्गत तैयार किए गए नियम | 4—9 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग की भूमिका तथा उत्तरदायित्व | 10—15 |
| 4. | अधिनियम का कार्यान्वयन (सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आवेदनों का निपटान) | 16—23 |
| 5. | अधिनियम का कार्यान्वयन (आयोग द्वारा अपीलें तथा शिकायतों का निपटान) | 24—28 |
| 6. | प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम | 29—30 |
| 7. | अभिमत और संस्तुतियां | 31—38 |
| | परिशिष्ट | |
| परिशिष्ट 'क' | हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियमन, 2008 | 39—48 |
| परिशिष्ट 'ख' | राज्य सूचना आयोग द्वारा प्राप्त अपीलों की स्थिति | 49—65 |
| परिशिष्ट 'ग' | राज्य सूचना आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की स्थिति | 66—84 |

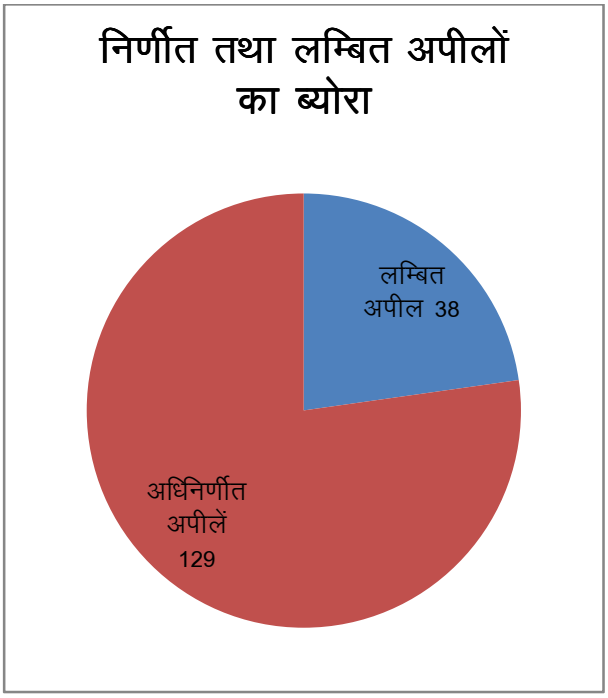
# हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग
## वार्षिक रिपोर्ट– संक्षिप्त आंकडे
## (1.04.2007 से 31.3.2008)

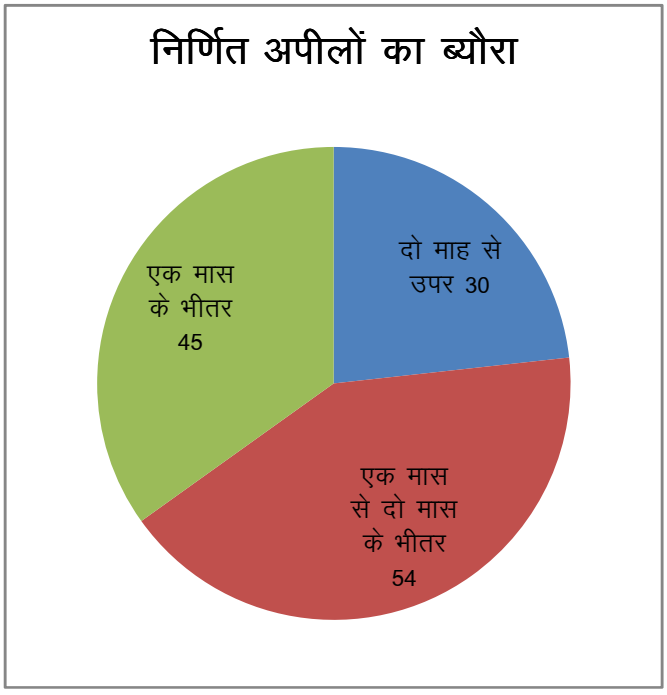
| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या, जिन्होंने राज्य सूचना आयोग को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की | | 118 |
| (ख) | 1.4.2007 से 31.3.2008 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा दायर किए गए आवेदनों की संख्या | | 10105 |
| (ग) | सार्वजनिक प्राधिकरणों के सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या | | 283 |
| (घ) | जन सूचना अधिकारियों द्वारा एकत्रित शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क की कुल राशि | | 600495 |
| (ञ) | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रथम अपीलों की दायर करने की संख्या | | 267 |
| (च) | वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 | | |
| | (i) | की धारा 19 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलों की दायर करने की संख्या | 159 |
| | (ii) | दिनांक 1.4.2007 को आयोग में लंबित अपीले | 8 |
| | (iii) | कुल अपीलें | 167 |
| (छ) | वर्ष के दौरान राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णीत द्वितीय अपीलों की संख्या | | 129 |
| (ज) | (i) | वर्ष के दौरान राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अन्तर्गत दायर की गई शिकायतों की संख्या | 134 |
| | (ii) | दिनांक 1.4.2007 को आयोग में लंबित शिकायतें | 5 |
| | (iii) | कुल शिकायतें | 139 |
| (झ) | वर्ष के दौरान राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णीत शिकायतों की संख्या | | 105 |
| (ड) | मामलों की संख्या जिनमें आयोग द्वारा अपीलकर्ता/ शिकायतकर्ताओं को मुआवजा दिलवाया गया | | 20 |

(ii)

राज्य सूचना आयोग में प्राप्त, निर्णीत तथा लम्बित अपीलों का ब्योरा
(1.4.2007 से 31.3.2008 तक)



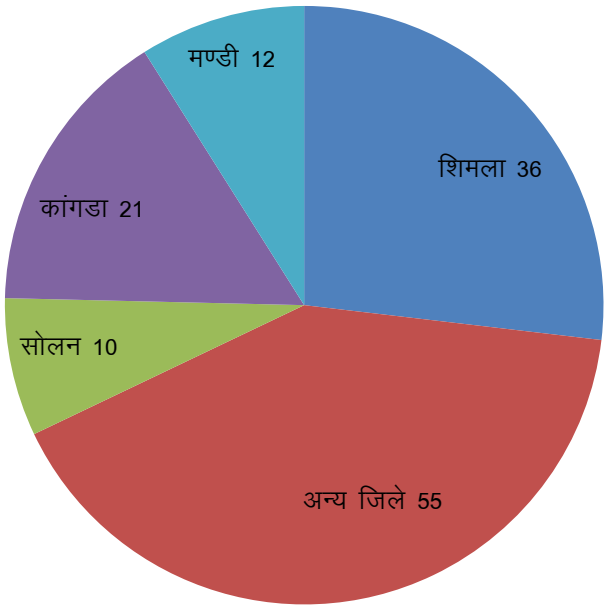



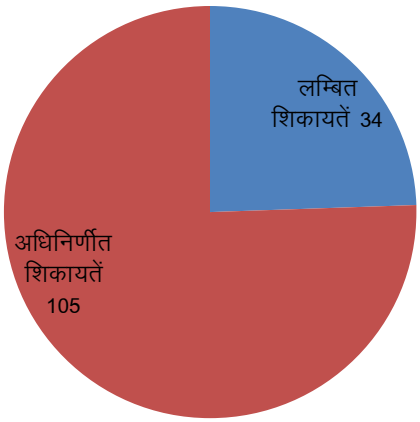
(iii)

## राज्य सूचना आयोग में प्राप्त, निर्णीत तथा लम्बित शिकायतों का ब्योरा
(1.4.2007 से 31.3.2008 तक)

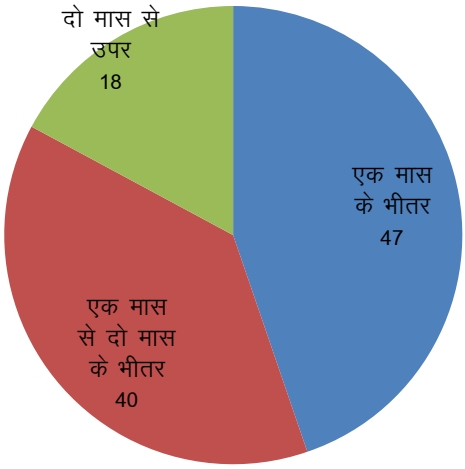
### विभिन्न जिलों से प्राप्त शिमायतें




### निर्णित तथा लम्बित शिकायतों का ब्योरा



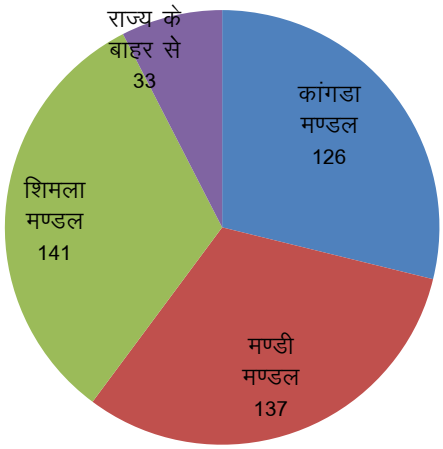

### निर्णीत शिकायतों का ब्यौरा



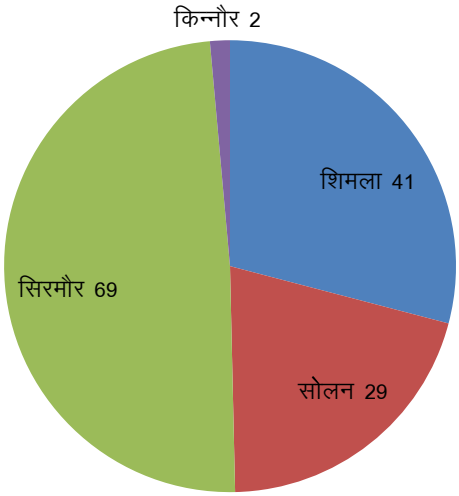
(iv)

## राज्य सूचना आयोग में प्राप्त आवेदनों/प्रतिवेदनों का ब्योरा
## (1.4.2007 से 31.3.2008 तक)

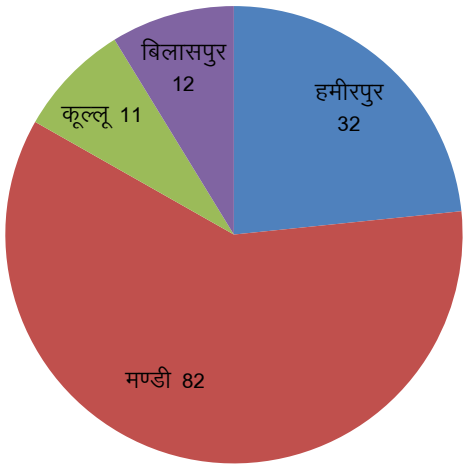
### तीन मण्डलों तथा राज्य के बाहर से प्राप्त आवेदनों की संख्या



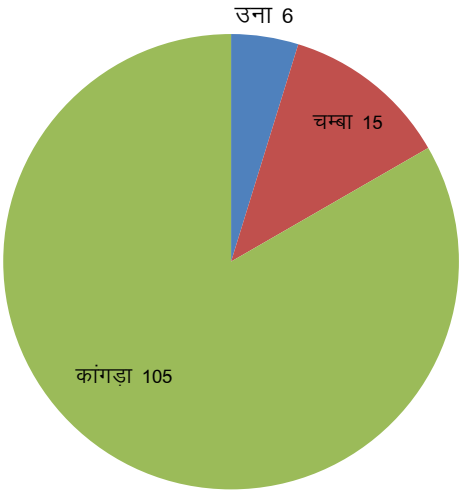

### शिमला मण्डल के चार जिलों से प्राप्त आवेदनों की संख्या




### मण्डी मण्डल के पांच जिलों से प्राप्त आवेदनों की संख्या




### कांगड़ा मण्डल के तीन जिलों से प्राप्त आवेदनों की संख्या



# अध्याय– 1

# परिचय

सूचना जन साधारण को सरकार से राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों को मांगने की जानकारी प्रदान करती है । सूचना का अधिकार जनता के हाथ में एक साधन है। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व 1766 ई0 में स्वीडन विश्व का पहला देश बना, जिसने सरकार के पास उपलब्ध सूचना को जानने, प्राप्त करने तथा प्रकाशित करने के लिए प्रेस के अधिकार को मानते हुए कानून बनाया। इसके 200 वर्ष पश्चात सन् 1966 में यू.एस.ए. ऐसा दूसरा देश बना जिसने सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त सूचना को अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाने के लिए कानून बनाया । वर्तमान में विश्व के सभी क्षेत्रों से 80 से अधिक देशों ने या तो सूचना पाने के अधिकार को बना दिया है अथवा सरकार के पास उपलब्ध सूचना को लोगों तक पहुंचाने हेतु व्यावहारिक पग उठाए है।

2 अब विश्वस्तर पर सूचना प्राप्ति की स्वतन्त्रता के महत्व को स्वीकारा गया है। इसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानव अधिकार और दस्तावेजों में एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है । नागरिक और राजनैतिक अधिकारों के प्रतिज्ञा पत्र में यह अपेक्षित है कि जो देश इसमें शामिल है वह इस अधिकार को अपने घरेलू कानूनों में स्थान देंगें । फलस्वरूप भारत सरकार ने भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को इस प्रतिबद्धता के साथ अधिनियमित किया जिससे शासन प्रणाली की कार्यशैली में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व आए तथा ऐसा व्यावहारिक शासन अपनाया जाए जिससे नागरिकों को लगभग पूर्णरूप से सूचना का अधिकार प्राप्त हो सके।

3 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 15 जून, 2005 को अधिनियमित किया गया तथा यह अधिनियम 12 अक्तूबर, 2005 को प्रवृत हुआ (इसके अधिनियमित होने के 120 दिन के भीतर)। तथापि अधिनियम के कुछेक उपबन्ध 15 जून 2005 को प्रवृत हुए । इस अधिनियम का एक व्यापक कार्यक्षेत्र है और इसमें सभी निकाय शामिल है । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के समस्त विभाग एवं उपक्रम, पंचायती राज संस्थाएं,

शहरी स्थानीय निकाय सरकार द्वारा गठित, शासित, स्थापित, नियन्त्रित अथवा वितपोषित अन्य निकाय जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल है इस अधिनियम के अन्तर्गत आते है। सभी भारतीय नागरिक इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यापक तथा विस्तृत सूचना प्राप्त कर सकते है जिसमें केवल बहुत कम ऐसी सूचनाएं हैं जिन्हें न देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है।

4 राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन 4 फरवरी, 2006 को किया गया। आयोग ने शिमला स्थित मुख्यालय में पहली मार्च 2006 से कार्य करना आरम्भ किया। सचिवालय प्रशासन ने वर्ष के दौरान तथा उसके उपरान्त आयोग को सचिवीय स्टाफ और अन्य सुविधाएं प्रदान की आयोग ने एक सदस्यीय निकाय के रूप में 1 जुलाई, 2007 तक कार्य किया । श्री एस.एस.परमार ने, जो हिमाचल प्रदेश सरकार से मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत हुए थे 2 जुलाई, 2007 को राज्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण किया। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त को प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सचिवालय में स्थान उपलब्ध करवाया गया तथा कार्यालय के स्टाफ के लिए गैर सरकारी स्थान किराए पर लिया गया।

5 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियां प्रदत्त की गई है :–

(i) अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत जन प्राधिकारियों द्वारा सूचना न देने पर शिकायतें प्राप्त करना तथा उनकी जांच करना।

(ii) अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय पर अपील को सुनना और उनका निपटान करना।

(iii) दोषी जन सूचना अधिकारियों को दण्डित करना और उन पर अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति करना ।

(iv) अधिनियम के अनुरूप कार्य न करने वाले जन प्राधिकरणों को समुचित दिशा निर्देश देना तथा अधिनियम के अनुरूप कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए पग उठाना।

6 देश की शासन प्रणाली में सूचना के अधिकार के महत्व को पहचाना गया है। फलस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्रदेश सूचना आयोग को अधिकृत किया गया है कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन पर प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट तैयार करे तथा राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए सरकार को अग्रेषित करें। इस उपबन्ध का अनुसरण करते हुए वर्ष 2007–08 के दौरान हिमाचल प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन की तृतीय रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के समक्ष रखने के लिए तैयार की गई है।

———————————

# अध्याय–2

# सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं तथा इसके अन्तर्गत तैयार किए गए नियम

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधिनियमन करण से भारत के सुशासन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है । जिसके फलस्वरूप समस्त नागरिकों को उन सभी अधिकारियों तथा संस्थानों के साथ जो उनके कल्याण के लिए बने है को बढावा देने के लिए अधिक सुचारू रूप से सम्वाद करने के अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम सभी सरकारी एजेन्सियों को एक सकारात्मक दायित्व प्रदान करता है कि वह प्रत्येक नागरिक को सूचना प्रदान करे तथा जनता को यह अधिकार देता है कि वे इन संस्थाओं के समक्ष जो सूचना है उसे पूछने और पाने का अधिकार प्राप्त करें। यह अधिनियम देश के प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण पर यह दायित्व भी डालता है कि वह अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता एवं जबावदेही रखे। विशेषज्ञों का यह मत है कि सूचना के अधिकार को पाने से आम जनता सरकारी एजेन्सियों की नितियों के बनाने तथा कार्यान्वयन के बारे में सूचना के लिए अधिकृत हो।

2 सूचना का अधिकार आम लोंगों के हाथों में एक शक्तिशाली साधन है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत देश के प्रत्येक नागरिक को विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों से कोई भी सूचना लेने के लिए सशक्त किया गया है । इसके अन्तर्गत सभी सरकारी अधिकारियों तथा अनेक जन सूचना अधिकारियों (पी.आई. ओ.)/सहायक जन सूचना अधिकारियों (ए.पी.आइ.ओस.) जिन्हें सभी सरकारी अधिकारियों द्वारा सूचना हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई हेतु प्राधिकृत किया गया है, द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से सूचना प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा शिकायतों की जांच करने, द्वितीय अपीलों को सुनने तथा विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन बारे मार्गदर्शन हेतु सूचना आयोगों का गठन किया गया है।

3 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं निम्न है :–

(i) कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से बिना कोई कारण बताए कोई भी सूचना मांग सकता है ।

(ii) मांगी गई सूचना जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान करनी होगी ।

(iii) अधिनियम सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डो, स्थानीय शहरी निकायों,पंचायती राज संस्थाओं तथा सरकार द्वारा स्थापित,गठित,नियंत्रित अथवा वित्त्पोषित निकायों पर, लागू होता है जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल है।

(iv) सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा उनके कार्यों सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर स्वेच्छा से सूचना का प्रकटीकरण करना होगा जिसे अधिनियम की धारा 4(1)(ख)व के अनुरूप हर वर्ष अद्यतन किया जाना अपेक्षित होगा ।

(v) सभी सरकारी विभाग/संस्थान सूचना देने के प्रयोजन से अपेक्षित संख्या में जन सूचना अधिकारियों को नामित करेंगें तथा उपमण्डल स्तर पर आवेदन प्राप्त करने तथा उन्हें जन सूचना अधिकारियों को अग्रेषित करने हेतु सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित करेंगे ।

(vi) सार्वजनिक प्राधिकरणों को अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारियों के विरूद्ध की गई प्रथम अपीलों पर विचार करने एवं निर्णय देने हेतु अपीलीय अधिकारी नामित करने होंगे ।

(vii) जन सूचना अधिकारी आवेदकों को सूचना प्रदान करते अथवा आवेदनों को अस्वीकृत करते हुए सकारण पत्र व्यवहार करेंगें । इसी प्रकार अपीलीय अधिकारियों को भी सकारण एवं स्वतः स्पष्ट आदेश पारित किए जाने अपेक्षित होंगें ।

(viii) सूचना आयोग को दोषी जन सूचना अधिकारियों पर रू 250/– प्रतिदिन, अधिकतम 25000/– रूपयें दण्ड लगाने की शक्ति होगी। जहां दोषी जन सूचना अधिकारी द्वारा किसी युक्तियुक्त कारण के :–

- सूचना हेतु आवेदन को प्राप्त करने से इनकार हो ।
- निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना प्रदान न की गई हो। अथवा
- सूचना हेतु किए गए आवेदन को अनुचित रूप से नकारा गया हो। अथवा
- जानबूझकर गलत, अधूरी अथवा गुमराह करने वाली सूचना प्रदान की गई हो अथवा
- जिस विषयक सूचना प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया हो इस सूचना को खुर्द–बुर्द किया गया हो अथवा
- सूचना को प्रदान करने में किसी प्रकार की बाधा डाली गई हो ।

(ix) कुछेक मामलों में तो दोषी जन सूचना अधिकारी के खिलाफ आयोग अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति कर सकता है ।

(x) इस अधिनियम में उपबधित है कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 तथा किसी अन्य विधि जो वर्तमान में प्रवृत है अथवा इस अधिनियम को छोड किसी अन्य नियम के प्रभावी होने के बावजूद भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रवृत होंगें।

(xi) अधिनियम की धारा 23 में विदित है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत जारी किसी आदेश अथवा आवेदन या प्रक्रिया बारे कोई वाद स्वीकार नहीं करेगा तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई अपील के अलावा किसी प्रकार से आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

4 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों के प्रभावशाली तथा सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु नियम बनाने के लिए विनियोजित सरकारों तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी को शक्तियां प्रदत है। परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश विधान सभा तथा माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमें को अधिसूचित किया गया है । हिमाचल विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क व लागत) नियम, 2006, 15 जून 2006 को तथा हिमाचल प्रदेश उच्चन्यायालय सूचना का अधिकार नियम, 2005, 30 नवम्बर, 2005 को अधिसूचित किए गए। हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम,2006 राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी,2006 को अधिसूचित किए गए। ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत हो गए है।

5 राज्य सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों में आवेदन शुल्क तथा अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त शुल्क की समान दरें निर्धारित की गई है । इन नियमों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है :–

(i) कोई भी व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना अथवा रिकार्ड का निरीक्षण करना चाहता है को निर्धारित शुल्क की अदायगी के प्रमाण सहित सम्बन्धित प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) श्रेणी के आवेदकों से सूचना प्राप्त करने अथवा किसी अभिलेख के निरीक्षण के लिए किसी भी शुल्क की अदायगी अपेक्षित नहीं है ।

(iii) प्रत्येक विषय तथा प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित सूचना लेने के लिए अलग – अलग आवेदन पत्र दायर किया जाना अपेक्षित है ।

(iv) आवेदक को जारी की गई सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक का नाम दर्शाते हुए तथा जन सूचना अधिकारी की मोहर, हस्ताक्षर तथा तिथि सहित, विधिवत प्रमाणिकृत किया जाएगा ।

(v) दस्तावेजों को प्रदान करने एवं उनके निरीक्षण के हेतु लिए जानेवाले शुल्क की दर नीचे दी गई हेः–

| क्रम संख्या | सूचना का विवरण | मूल्य/शुल्क रूपयों में |
|---|---|---|
| 1 | आवेदन के साथ शुल्क | रू0 10/– प्रति आवेदन |
| 2 | जहां सूचना समूल्य प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो | प्रकाशित मूल्य पर |
| 3 | समूल्य प्रकाशनों के अलावा | 1 रू0 10/– प्रति पृष्ठ (ए–4 आकार अथवा कम के लिए)4 नवम्बर,2008 से शुल्क में कमी कर इसे रू0 2/–प्रति पृष्ठ किया गया है ।<br>2 बडे आकार के पृष्ठ के मामले में, वास्तविक लागत अथवा रू0 20/– प्रति पृष्ठ जो भी अधिक हो । |
| 4 | जहां सूचना इलैक्ट्रनिक के रूप में उपलब्ध हो और इलैक्ट्रनिक रूप यथा फलापी, सीडी आदि के रूप में प्रदान की जानी हो | रू0 50/– प्रति फलॉपी रू0 100/– प्रति सीडी |
| 5 | रिकार्ड/दस्तावेज के निरीक्षण हेतु | रू20/– प्रति 30 मिनट या उसके अंश के लिए |

(vi) निर्धारित शुल्क की अदायगी मांग ड्राफ्ट या इण्डियन पोस्टल आर्डर द्वारा सम्बन्धित सरकारी प्रधिकरण को की जा सकती है या 0070–ओ0ए0एस0,60–ओ0एस,800–ओ0आर0 11–सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत प्राप्तियां लेखा शीर्ष में सरकारी खजाने में जमा करवाया जा सकता है ।

6 इन नियमों के तहत नामित अपीलीय अधिकारी तथा राज्य सूचना आयोग में अपील दायर करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है । इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपील के ज्ञापन में अपीलकर्ता का नाम व पता, उस जन सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील की जा रही हो तथा आदेश का विवरण जिसके विरूद्ध अपील की जा रही हो, दिया जाना होगा। अपीलकर्ता को अपील की दो प्रतियां दायर करनी होगी अपील ज्ञापन में अपील के सम्बन्ध मे भी संक्षेप में तथ्य दिए जाने होगें। आवेदन का जवाब न मिलने की स्थिति में आवेदन का विवरण, संख्या व तिथि, जन सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसे आवेदन दिया गया था का उल्लेख अपीलकर्ता द्वारा किया जाना होगा । अपीलकर्ता अपनी याचना अथवा राहत का उल्लेख तथा याचना व राहत के आधार भी अपील ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख करेगा।

7 इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित नियमों के तहत नामित अपीलीय अधिकारी या राज्य सूचना आयोग को यह भी शक्ति होगी कि यदि सुनवाई की तिथि पर अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप में उपस्थित नहों होता है तो वे गुण दोष के आधार पर अपील पर एक तरफा निर्णय भी दे सकतें है । अपीलकर्ता किसी ऐसे आधार पर न तो कोई आपति उठाएगा और न ही उसकी आपति सुनी जाएगी, जिसका उल्लेख उस द्वारा अपील अधिकारी/आयोग को प्रस्तुत अपील ज्ञापन में न किया गया हो । तथापि नामित अपील अधिकारी/ आयोग को अपील पर निर्णय लेते समय उन्हीं आधारों तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं जिनका उल्लेख अपील में किया गया हो । इन नियमों के तहत राज्य सूचना आयोग को अपनी दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही के सम्बन्ध मे विनियम बनाने की शक्तियां भी प्रदत है । परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा हिमाचल प्रदश राज्य सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियम, 2008 बनाए गए है जो 1 सितम्बर,2008 से लागू हो गए हैं । विनियमों की प्रति परिशिष्ठ "क" पर संलग्न है ।

———————————

# अध्याय – 3

# राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा अपने मुख्यालय शिमला (कमरा न0 222 आर्मसडेल भवन हि0 प्र0 सचिवालय) में 1 मार्च,2006 से कार्य करना आरम्भ किया जब श्री पी0एस0 राणा ने प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया । आयोग को राज्य सचिवालय के आर्मसडेल भवन में जगह प्रदान की गई तथा राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई। वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य सूचना आयुक्त का एक पद सृजित कर आयोग को और अधिक सशक्त किया गया तथा तत्कालीन मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार श्री एस0 एस0 परमार (आई.ए.एस. हि.प्र. 1971) को दिनांक 29–06–2007 को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। श्री परमार ने राज्य सूचना आयुक्त का कार्यभार 02–07–2007 को ग्रहण किया।

2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 21 जनवरी, 2006 को बनाए गए । हिमाचल विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क एवं खर्च विनियम) नियम, 2006 15 जून, 2006 को तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार नियम, 2005 30 नवम्बर, 2005 को अधिसूचित किए गए। ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत हो गए हैं ।

3 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनी ओर से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि प्रदेश के लोग सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा राज्य में किए जा रहे लेन–देन के बारे में पता कर सकें तथा इस प्रकार उन्हें पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनया जा सके। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय

निकायों तथा व्यक्तिगत रूप में लोंगों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न पहलुओं बारे जागरूक करने हेतु राज्य के भिन्न–भिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की गई हैं ।

4 राज्य सूचना आयोग द्वारा राज्य सरकार की वेबसाइट (www.himachal.nic.in) पर भी निम्न सूचना उपलब्ध करवाई है :–

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग की नियमावली

(ii) राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक प्राधिकरणों के नाम

(iii) विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों के नाम

(iv) हि0 प्र0 राज्य सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियमन,2008

5 राज्य सूचना आयोग सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना प्राप्त करने से सम्बन्धित शिकायतकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों की जांच तथा गुण दोष के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों के दृष्टिगत उनका निर्णय करता है। आयोग द्वारा अपीलीय अधिकारियों के विरूद्ध की गई अपीलों का निपटान भी किया गया है। ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरण जो अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः पालन नहीं कर रहें है, उन्हें सदृश पग उठाने के लिए निर्दिष्ट करने हेतु संस्तुतियां देने का अधिकार भी आयोग को दिया गया है।

6 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के उद्धेश्य से राज्य सरकार द्वारा 32 पद सृजित किए गए । इन पदों का विवरण इस प्रकार हैं :–

| क्रमांक | पदनाम | पद का वेतनमान | सृजित पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | मुख्य सूचना आयुक्त | 30000/– जमा भत्ते | 1 |
| 2 | राज्य सूचना आयुक्त | 26000/– जमा | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | भत्ते | |
| 3 | सचिव (एच0ए0एस0/आई0ए0एस0) | अपने वेतनमान में | 1 |
| 4 | सिस्टम एनालिस्ट | 7880–11660 | 1 |
| 5 | रीडर कम एहलमद | 7220–11660 | 1 |
| 6 | अनुभाग अधिकारी | 7220–11660 | 1 |
| 7 | वरिष्ठ सहायक | 5800–9200 | 2 |
| 8 | लिपिक कम कम्पयूटर आपरेटर | 3120–5160 प्रारम्भिक वेतन 3220/– | 2 |
| 9 | निजी सचिव | 7220–11660 | 2 |
| 10 | निजी सहायक | 6400–10640 | 4 |
| 11 | कनिष्ठ वेतनमान स्टेनोग्राफर | 4400–7000 | 4 |
| 12 | चालक | 3330–6200 | 3 |
| 13 | प्रोसेस सरवर | 2720–4260 | 1 |
| 14 | चौकीदार | 2520–4140 प्रारम्भिक वेतन 2620/– | 1 |
| 15 | सेवादार | 2520–4140 प्रारम्भिक वेतन 2620/– | 5 |
| 16 | फ्रास कम माली | 2520–4140 प्रारम्भिक वेतन 2640/– | 1 |
| 17 | सफाई कर्मचारी | 2520–4140 प्रारम्भिक वेतन 2620/– | 1 |
| | कुल | | 32 |

7 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित है :–

| क्रम संख्या | पदनाम | शक्तियां एवं कार्य |
|---|---|---|
| 1 | राज्य मुख्य सूचना आयुक्त | राज्य सूचना आयोग के कार्यों/गतिविधियों की सामान्य देख–रेख, निर्देशन एवं प्रबन्धन/अपीलों और शिकायतों का निपटान । |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | राज्य सूचना आयुक्त | अपीलों तथा शिकायतों का संज्ञान तथा उनका निपटान |
| 3 | सचिव एवं पंजीयक | आयोग का प्रशासनिक प्रबन्धन, वित्तिय निंयत्रण तथा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त की कार्य निपटान में सहायता करना। |
| 4 | निजी सचिव राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त/ राज्य सूचना आयुक्त | सचिवालीय सहायता तथा मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदत्त कार्यों का निपटान। |
| 5 | रीडर कम एहलमद | आयोग में प्राप्त अपीलों और शिकायतों को प्रक्रिया में लाना तथा मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदत्त कार्य करना। |
| 6 | अनुभाग अधिकारी एवं सहायक पंजीयक | आयोग के प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य कार्यों के निपटान में सचिव एवं पंजीयक की सहायता करना। |
| 7 | अधीनस्थ कर्मचारी | आयोग के अधिकारियों की सहायता करना तथा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रदत्त कार्य करना। |

8 सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 18 के अन्तर्गत आयोग को शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त या तो जांच के आदेश अथवा उचित कार्रवाई करने जो भी उचित समझे, के आदेश दे सकता है। सरकारी अधिकरी अथवा जन सूचना अधिकारी जिसके विरूद्ध शिकायत की गई हो, से टिप्पणी मांग सकता है तथा जन सूचना अधिकारी और शिकायतकर्ता को अवसर प्रदान कर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत उचित निर्णय दे सकता है। आयोग अधिनियम की धारा–19 के अन्तर्गत अपीलें प्राप्त करता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त, जन सूचना अधिकारी से टिप्पणी प्राप्त कर तथा अपील में उठाए गए मुददों पर सुनवाई कर अपीलों का निपटान करता है। आयोग

द्वारा किसी अपील पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व आवेदक को सामान्यतः सुनवाई के लिए अपना मामला प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर दिया जाता है। यद्यपि आयोग में प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों के निपटान हेतु अधिनियम में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी आयोग ऐसे मामलों का निपटान तेजी से कर रहा है। आयोग का यही प्रयास रहता है कि ऐसे मामलों का निपटान आयोग में प्राप्ति तिथि के अधिकतम तीन मास की अवधि में कर दिया जाए।

9 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006/हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियम) नियम, 2006/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार नियम, 2005 के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यों का निर्वहन करता है। आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत ही प्रशासनिक कार्यों, प्रक्रिया तथा सेवाओं को कार्यन्वित करता है ।

10 राज्य सूचना आयोग की प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2007–08 के लिए 65,97,000/– रू0 के वार्षिक बजट का प्रावधान किया था। वर्ष के लिए स्वीकृत बजट तथा व्यय का शीर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

| क्रमांक | उपशीर्ष | स्वीकृत बजट | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | वेतन | 4131000 | 3065000 |
| 2 | यात्रा व्यय | 100000 | 47000 |
| 3 | कार्यालय व्यय | 328000 | 327000 |
| 4 | चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 60000 | 55000 |
| 5 | किराया, दर एवं उपकर | 233000 | 231000 |
| 6 | आतिथ्य/सत्कार | 20000 | – |
| 7 | रखरखाव | 25000 | – |
| 8 | मोटर वाहन | 1500000 | 1449000 |
| | कुल | 6597000 | 5176000 |

11 उपशीर्ष "वेतन" के खर्चे में बचत इसलिए हुई क्योंकि खर्च में कटौती किए जाने के दृष्टिगत वित्त वर्ष के दौरान सभी स्वीकृत पद नहीं भरे जा सके । इसके अतिरिक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त को सचिवालीय सहायता हिमाचल प्रदेश सचिवालय द्वारा प्रदान की गई । आयोग द्वारा खर्च में अधिकतम किफायत बरतते हुए स्वीकृत बजट के अन्य उपशीर्षों में भी बचत सुनिश्चित की गई है साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय– समय पर जारी की गई मितव्ययता हिदायतों को ध्यान में रखा गया है ।

---

# अध्याय–4

# अधिनियम का कार्यान्वयन

(सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आवेदनों का निपटान)

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत सभी सरकारी प्राधिकारियों की गतिविधियों में पारदर्शिता लाने तथा उन्हें जन साधारण के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए प्रावधान किए गए है। अधिनियम सरकारी एजेंसियों/अधिकारियों द्वारा अपने विवेकाधिकार के दुरूपयोग को रोकने के लिए तैयार किया गया है। इन एजेंसियों से अपेक्षा रहेगी कि वे अपने कार्यकलापों को अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर सूचना प्रकाशित करें तथा इसे समय–समय पर अद्यतन करें। पिछले वर्ष, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत 158 सरकारी प्राधिकारियों द्वारा इस धारा के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सूचना प्रकाशित की गई थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी प्राधिकारियों से इन्हें अद्यतन कर पुनः प्रकाशित करने की अपेक्षा थी जैसा कि इस धारा में विनिर्दिष्ट है। अधिनियम की धारा 4 (1)ख के अन्तर्गत प्रकाशन सम्बन्धित सरकारी प्राधिकारी के कार्यालयों में उपलब्ध होने अनिवार्य थे। लेकिन विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा नागरिक समिति संगठनों के प्रतिनिधियों ने आयोग के ध्यान में लाया है कि राज्य सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों के अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालयों में धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत अद्यतन प्रकाशन सामान्यतः उपलब्ध नहीं रहे है।

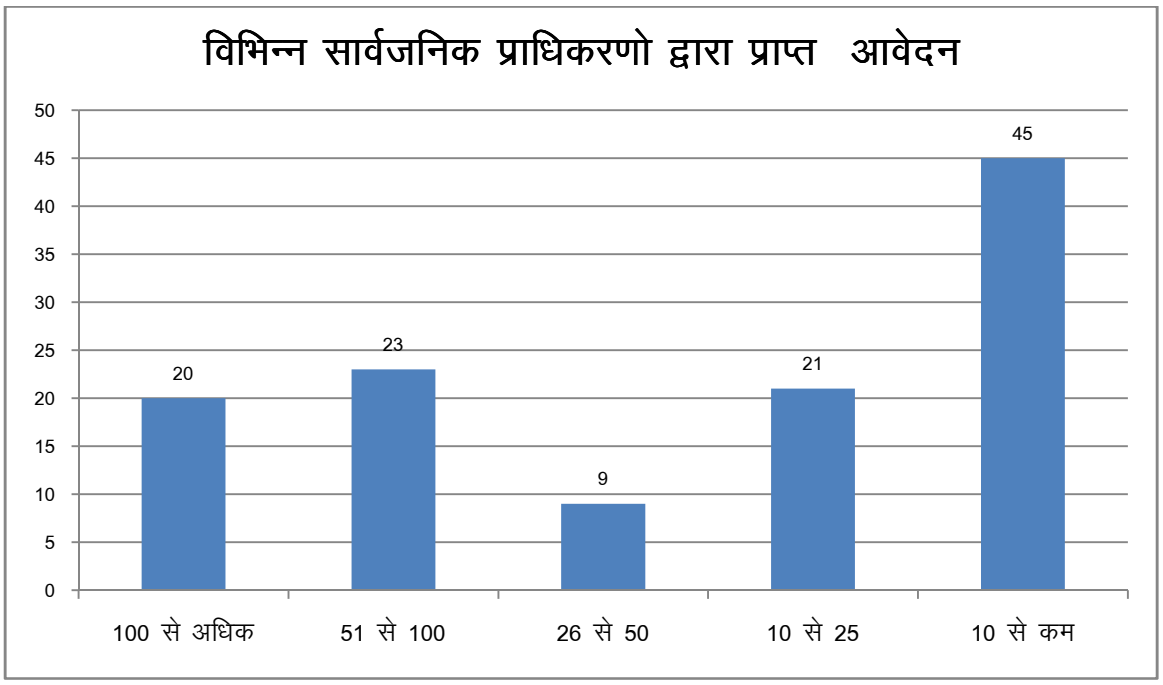
2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 व 7 के उपबन्धों के अनुसार सरकारी प्राधिकरणों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे इस उद्धेश्य के लिए नामित जन सूचना अधिकारी के माध्यम से जन साधारण को उनके द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवायें। वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य सरकार के 118 सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए 10,105 आवेदन प्राप्त हुए । अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 2006–07 के दौरान 110 सार्वजनिक प्राधिकरणों को 2654 आवेदन प्राप्त

हुए थे। अतः पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2007–08 के दौरन आर.टी.आई. आवेदनों की संख्या में लगभग चार गुणा वृद्धि हुई है। इससे यह प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों के बारे में राज्य के जन साधारण व्यक्ति की जानकारी में वृद्धि हुई है । कुल 118 सार्वजनिक प्राधिकरणों में से 20 सार्वजनिक प्राधिकरणों को (प्रत्येक को) 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए तथा 23 सार्वजनिक प्राधिकरणों को (प्रत्येक को) 51 से 100 आवेदन इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए। शेष सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस वर्ष के दौरान (प्रत्येक को) 50 से कम आवेदन प्राप्त हुए। कुल 10,105 आवेदनों में से 9235 आवेदन 43 सार्वजनिक प्राधिकरणो को प्राप्त हुए जो राज्य में दायर कुल आवेदनों का 91 प्रतिशत है। इसी अवधि के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों को 600495 रूपये का शुल्क प्राप्त हुआ।

3 वर्ष 2007–08 के दौरान 118 सार्वजनिक प्राधिकरणों से प्राप्त आवेदनों का विवरण सारणी निम्न प्रकार से है :–

वर्ष 2007.08 के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों से प्राप्त आवेदन

| | | |
|---|---|---|
| (i) | सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या जिन्हें 100 से अधिक आवेदने प्राप्त हुए | 20 |
| (ii) | सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 51 से 100 तक आवेदन प्राप्त हुए | 23 |
| (iii) | सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 26 से 50 आवेदन प्राप्त हुए | 9 |
| (iv) | सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 10 से 25 आवेदन प्राप्त हुए | 21 |
| (v) | सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 10 से कम आवेदन प्राप्त हुए | 45 |
| सार्वजनिक प्राधिकरणों की कुल संख्या जिन्हें आवेदन प्राप्त हुए | | 118 |




4 विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त किए/रदद किए आवेदनों/दायर अपीलों/प्राप्त शुल्क का विवरण

| क्रमांक | सरकारी विभाग का नाम | प्राप्त आवेदनों की संख्या | जितने मामलें जन सूचना अधिकारीयों द्वारा रदद किए गए | प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास दायर अपीलें | राज्य सूचना आयोग के पास दायर अपीलें | ऐसे मामले जहां आयोग द्वारा क्षतिपूर्ति के आदेष दिए | प्राप्त राषी रूपये |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राज्यपाल सचिवालय | 4 | | | | | 70 |
| 2 | विधान सभा सचिवालय | 33 | 9 | | | | 700 |
| 3 | हि0प्र0उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय | 96 | 25 | 9 | 3 | | 8790 |
| 4 | राज्य सूचना आयोग | 3 | | | | | 30 |
| 5 | लोक सेवा आयोग | 274 | | 8 | 7 | | 6261 |
| 6 | महिला राज्य आयोग | 6 | | | | | 330 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | हि0प्र0 प्रशासनिक प्राधिकरण | 6 | | | | | 290 |
| 8 | राज्य चुनाव आयोग | 4 | | 1 | 1 | | 150 |
| | **हि0प्र0 सचिवालय** | | | | | | |
| 9 | प्रशासनिक सुधार | 10 | | | | | 150 |
| 10 | कृषि | 10 | | | | | 455 |
| 11 | पशुपालन | 4 | | | | | 440 |
| 12 | आयुर्वेद | 2 | | | | | 190 |
| 13 | सहकारिता | 5 | | | | | 1830 |
| 14 | विज्ञान एवं तकनीक | 1 | | | | | 1276 |
| 15 | आबकारी एवं कराधान | 5 | | 1 | | | 546 |
| 16 | वित्त | 28 | 11 | | | | 1050 |
| 17 | वित्तायुक्त (अपील) | 2 | | | | | 170 |
| 18 | वन | 5 | | | | | 140 |
| 19 | सामान्य प्रशासन | 32 | | | | | 3527 |
| 20 | गृह | 9 | | | | | 1965 |
| 21 | बाागवानी | 2 | | | | | 20 |
| 22 | उद्योग | 2 | | | | | 730 |
| 23 | सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य | 18 | | | | | 1242 |
| 24 | बहुदेशीय परियोजना तथा उर्जा | 5 | | | 1 | | 90 |
| 25 | कार्मिक | 51 | 4 | 5 | 1 | | 4610 |
| 26 | लोक निर्माण | 5 | 2 | 2 | 1 | | 90 |
| 27 | राजस्व | 21 | | | 1 | | 1880 |
| 28 | सचिवालय प्रशासन | 19 | | 1 | 4 | | 1604 |
| 29 | पर्यटन | 15 | 1 | | 2 | | 730 |
| 30 | नगर एवं ग्रमीण योजना | 9 | | | | | 290 |
| 31 | परिवहन | 4 | | | | | 105 |
| 32 | अनुसूचित जनजातिय | 2 | | | | | 60 |
| 33 | शहरी विकास | 2 | | | | | |
| | **प्रशासनिक विभाग** | | | | | | 40 |
| 34 | कृषि | 11 | | | 1 | | 1166 |
| 35 | पशुपालन | 22 | | | | | 2230 |
| 36 | आयुर्वेद | 42 | | 1 | | 1 | 775 |
| 37 | सहकारिता | 108 | | | 2 | 1 | 7690 |
| | **जिलाधीश** | | | | | | |
| 38 | कांगडा | 381 | | 6 | | | 20389 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | सिरमौर | 73 | 13 | 2 | 2 | | 4110 |
| 40 | बिलासपुर | 209 | | | 1 | | 8155 |
| 41 | कुल्लू | 151 | 6 | | 1 | | 10215 |
| 42 | किन्नौर | 43 | 11 | | | | 2910 |
| 43 | लाहुल एवं स्पिति | 1 | | | | | 30 |
| 44 | मण्डी | 373 | | | 1 | | 28421 |
| 45 | हमीरपुर | 65 | | | 2 | 1 | 2329 |
| 46 | शिमला | 573 | 39 | | 1 | | 21087 |
| 47 | सोलन | 52 | 22 | | | | 560 |
| 48 | चम्बा | 97 | | | | | 1790 |
| 49 | दन्त स्वास्थ्य सेवायें | 6 | | | | | 170 |
| 50 | चुनाव | 20 | | | | | 2000 |
| 51 | प्रारंभिक शिक्षा | 456 | | 21 | 6 | 4 | 18656 |
| 52 | संपदा कार्यालय | 8 | | | | | 110 |
| 53 | मत्स्य | 19 | | | 1 | | 2073 |
| 54 | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | 58 | 8 | | | | 2200 |
| 55 | वन | 112 | | 1 | 2 | | 4897 |
| 56 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 57 | | | 4 | | 5651 |
| 57 | उच्च शिक्षा | 449 | | 7 | 7 | 2 | 4837 |
| 58 | हि0 लोक प्रशिक्षण संस्थान | 4 | | | | | 640 |
| 59 | होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा | 65 | | 1 | | | 2965 |
| 60 | बागवानी | 33 | | | | | 3148 |
| 61 | उद्योग | 116 | 13 | 4 | | | 16768 |
| 62 | सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य | 247 | | 58 | 2 | 2 | 28311 |
| 63 | श्रम एवं रोजगार | 52 | | 3 | 1 | | 2575 |
| 64 | परीक्षा एवं लेखा | 19 | | | | | 1762 |
| 65 | भू समेकन | 1 | | | | | 20 |
| 66 | स्थानिय परिक्षण विभाग | 6 | 1 | 1 | 1 | | 1110 |
| 67 | चिकित्सा शिक्षा | 87 | | | | | 775 |
| 68 | हिमऊर्जा | 1 | | | | | 90 |
| 69 | पंचायती राज | 623 | | 1 | 9 | 1 | 23115 |
| 70 | योजना | 15 | | | | | 842 |
| 71 | पुलिस | 699 | 53 | 16 | 8 | 2 | 47912 |
| 72 | मुद्रण एवं सामग्री | 21 | | | | | 1805 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | अभियोजन | 3 | | | | | 10 |
| 74 | सूचना एवं जन संपर्क | 10 | | | | | 1700 |
| 75 | लोक निर्माण | 342 | 39 | 2 | 6 | 1 | 20333 |
| 76 | राज्य सैनिक कल्याण | 25 | | 1 | | | 3033 |
| 77 | राजस्व | 84 | | | 14 | | 3305 |
| 78 | विज्ञान एवं तकनीक | 8 | | | | | 2375 |
| 79 | सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकर | 1604 | | | | | 69493 |
| 80 | तकनीक शिक्षा | 24 | | | | | 244 |
| 81 | पर्यटन एवं नागरिक विमानन | 68 | | 4 | 1 | | 3542 |
| 82 | नगर एवं ग्रामीण नियोजन | 190 | | 1 | 2 | | 15318 |
| 83 | परिवहन | 125 | | | | | 6330 |
| 84 | ग्रमीण विकास | 6 | | | 5 | 1 | 90 |
| 85 | युवा सेवायें एवं खेल | 3 | | | | | 30 |
| | **सहकारिता / निगम** | | | | | | |
| 86 | एग्रो पैकेजिगं | 2 | | | | | 10 |
| 84 | स्कूल शिक्षा बोर्ड | 86 | | | | | 2555 |
| 88 | बस अडडा प्रबंधन एवं विकास प्रधिकरण | 3 | | | | | 7500 |
| 89 | नागरिक आपूर्ति निगम | 32 | | | | | 1582 |
| 90 | सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ | 4 | 1 | | | | 920 |
| 91 | पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड | 37 | | 2 | 1 | | 2393 |
| 92 | भूतपूर्व सैनिक | 8 | | | 1 | | 80 |
| 93 | वित्तीय निगम | 22 | 2 | 1 | | | 5650 |
| 94 | वन निगम | 94 | 2 | 8 | 15 | 1 | 8110 |
| 95 | सामान्य उद्योग निगम | 5 | 2 | 2 | 1 | | 1440 |
| 96 | एच0पी0एम0सी0 | 3 | | | | | 130 |
| 97 | राज्य विद्युत बोर्ड | 95 | | 1 | 1 | | 37528 |
| 98 | हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम | 2 | | | | | 60 |
| 99 | हिमुडा | 231 | 2 | 8 | 7 | 1 | 22713 |
| 100 | हिमउर्जा | 19 | | | | | 310 |
| 101 | अल्प संख्यक एवं कल्याण निगम | 1 | | | | | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | हि0प्र0 तकनीकी शिक्षा | 1 | | | | | 70 |
| 103 | पथ परिवहन निगम | 95 | | 3 | 3 | | 8763 |
| 104 | जोगिन्द्रा बैकं | 15 | 2 | | | | 5064 |
| 105 | कांगडा सेन्ट्रल वैंक | 38 | 6 | 55 | 1 | | 2330 |
| 106 | खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड | 56 | 1 | 1 | 4 | | 795 |
| 107 | विपणन बोर्ड | 1 | | | | | 50 |
| 108 | नगर निगम शिमला | 326 | | 6 | 6 | | 13530 |
| 109 | सैनिक कल्याण | 25 | | | | | 3033 |
| 110 | लघु उद्योग एवं निर्यात निगम | 1 | | | | | 10 |
| 111 | राज्य विज्ञान एवं तकनीक, पर्यावरण | 4 | | | | | 410 |
| 112 | राज्य उद्योग विकास निगम | 22 | 1 | | | | 2310 |
| 113 | अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड | 52 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1495 |
| 114 | पर्यटन विकास निगम | 60 | | 15 | 3 | | 2700 |
| 115 | वूल फैडरेशन | 1 | | | | | 150 |
| | **विश्वविद्यालय** | | | | | | |
| 116 | कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर | 60 | | 1 | 5 | | 2173 |
| 117 | डा0 यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय | 71 | 3 | 5 | 1 | | 14185 |
| 118 | हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला | 72 | | | 5 | | 2497 |
| | **कुल** | **10105** | **283** | **267** | **159** | **20** | **600495** |

5 उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अस्वीकृत किए गए 283 मामलों के अलावा विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों द्वारा सभी आवेदकों को अपेक्षित सूचना भेज दी गई है। इस प्रकार राज्य में कुल आवेदनों के 2.8 प्रतिशत मामले ही अस्वीकृत किए गए। गत वर्ष अस्वीकृत मामलों की संख्या थोडी ज्यादा थी जो कुल आवेदन के 4 प्रतिशत के बराबर थी। इस प्रकार रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान अस्वीकृत आवेदनों की संख्या बहुत कम रही है। इसके साथ यह भी उल्लेख किया

जाता है कि अधिकतर आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा की 8(1)(j) के अधीन अस्वीकृत किए गए है। प्रथम अपीलों की संख्या कुल आवेदनों के 2.6 प्रतिशत से भी कम रही। नामित अपीलीय प्राधिकारियों के पास दायर कुल 267 प्रथम अपीलों के विरूद्ध राज्य सूचना आयोग का मात्र 159 अपीलें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान जन सूचना अधिकारियों से सूचना प्राप्त न होने या विलम्ब से प्रत्युत्तर मिलने सम्बन्धी 134 शिकायतें भी आयोग को प्राप्त हुई। इस प्रकार वर्ष के दौरान विभिन्न जन प्राधिकारियों के पास दायर कुल 10105 सूचना का अधिकार आवेदनों के विरूद्ध कुल 293 अपीलें/शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई है। इन आंकडों से स्पष्ट होता है कि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सूचना मांगने वालों के आवेदनों पर राज्य के जन सूचना अधिकारियों की कार्रवाई संतोषजनक रही है।

# अध्याय–5

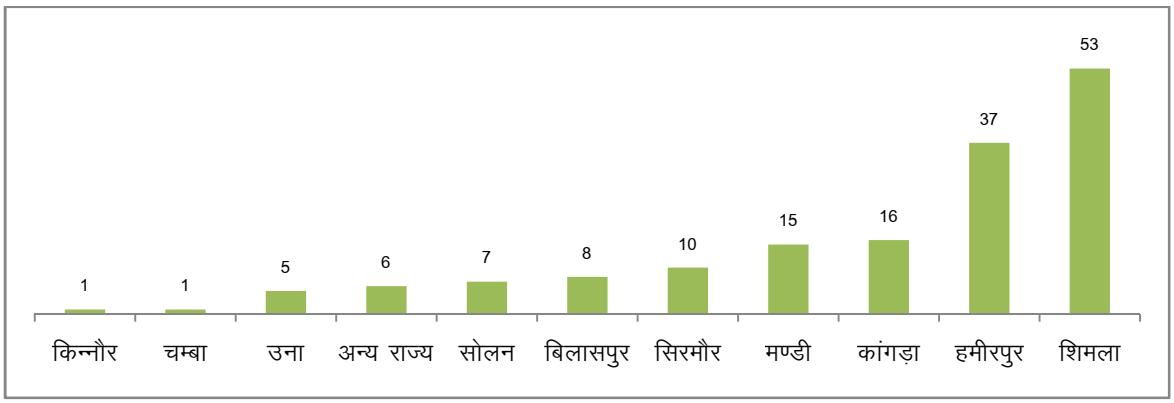
## अधिनियम की क्रियान्वयन

(आयोग द्वारा अपीलों तथा शिकायतों का निपटान)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि अपेक्षित सूचना उपलब्ध न करवाने, निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्युत्तर प्राप्त न होने तथा अधिनियम प्रावधानों को कार्यान्वयन न करने सम्बन्धी, आम जनता की शिकायतों को राज्य सूचना आयोग प्राप्त कर उनकी जांच करेगा। इसी तरह आयोग अधिनियम की धारा 19 के तहत द्वितीय अपीलें प्राप्त होने पन उन में निर्णय लेगा। इस धारा के अधीन असंतुष्ट अपीलार्थी प्रथम अपील प्राधिकारी से निर्णय प्राप्त के 90 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग के सम्मुख द्वितीय अपील दायर कर सकता है। आयोग के पास, पात्र मामलों की स्थिति में, अपील दायर करने हेतु हुए विलम्ब को माफ करने का अधिकार है।

2. वर्ष 2007–2008, अर्थात 1–4–2007 से 31–3–2008 तक, जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपील प्राधिकारियों के फैसलों के विरूद्व राज्य के 10 जिलों के वासियों तथा राज्य के बाहर से विभिन्न अपीलार्थियों से 159 अपीलें राज्य सूचना आयोग को प्राप्त हुई। जिसमें से 106 अपीलें शिमला, कांगड़ा तथा हमीरपुर जिलों के अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई थी। आयोग द्वारा प्राप्त अपीलों की जिलावार स्थिति निम्न प्रकार से दर्शायी गई है :–

आयोग में प्राप्त अपीलों का जिलावार विवरण :–



3. वर्ष के दौरान प्राप्त 159 अपीलों के अलावा, 8 अपीलें वर्ष के आरम्भ में लम्बित पड़ी थी। कुल 167 अपीलों में से, वर्ष के दौरान 129 अपीलों पर निर्णय दिए गए तथा 38 अपीलें 31–3–2008 को निर्णय हेतु लम्बित थी। आयोग द्वारा निर्णित 129 अपीलों में से मात्र 22 मामले अस्वीकृत किए गए। अन्य मामलों में जन सूचना अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित सूचना प्रदान करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। निर्णित/लम्बित अपीलों का ब्योरा निम्न सारणी में दिया गया है :–

(i) आयोग में प्राप्त अपीलों का ब्यौरा

| | | |
|---|---|---|
| (क) | 1–4–2007 को लम्बित अपीलें | 8 |
| (ख) | वर्ष के दौरान प्राप्त अपीलें | 159 |
| (ग) | वर्ष के दौरान निर्णित अपीलें | 129 |
| (घ) | 31–3–2008 को लम्बित अपीलें | 38 |

(ii) आयोग द्वारा निर्णित अपीलों का ब्यौरा :–

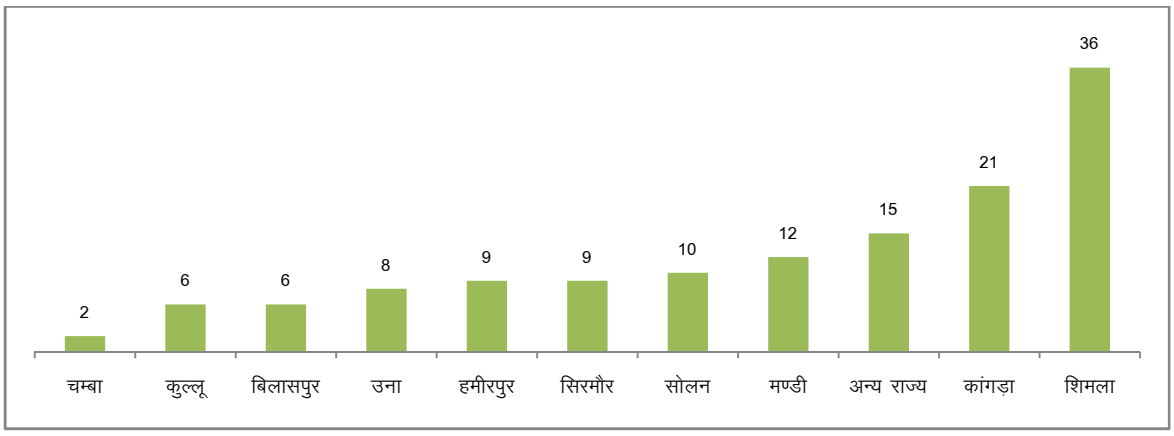
| | | |
|---|---|---|
| (क) | एक माह से कम अवधि में निर्णित | 45 |
| (ख) | एक माह से अधिक पर दो माह से कम अवधि में निर्णित | 54 |
| (ग) | दो माह से उपर की अवधि में निर्णित | 30 |

(iii) 31–3–2008 को लम्बित अपीलों का ब्यौरा :–

| | | |
|---|---|---|
| (क) | एक माह से कम अवधि की लम्बित अपीलें | 20 |
| (ख) | एक माह से दो माह तक लम्बित अपीलें | 6 |
| (ग) | दो माह से उपर लम्बित अपीलें | 12 |

4. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, प्रदेश के 10 जिलों के वासियों तथा प्रदेश के बाहर से 134 शिकायतें अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग में प्राप्त हुई। इन में से 94 शिकायतें शिमला, कांगड़ा, मण्डी, सोलन जिलों में निवास कर रहे तथा राज्य के बाहर के शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई थी। आयोग में प्राप्त शिकायतों का जिलावार ब्यौरा निम्न चार्ट पर दर्शाया गया है :–

आयोग में प्राप्त शिकायतों का जिलावार ब्यौरा :–




5. वर्ष के दौरान प्राप्त 134 शिकायतों के अलावा 5 शिकायतें 1–4–2007 को लम्बित पड़ी थी। कुल 139 शिकायतों में से 105 शिकायतें वर्ष के दौरान निर्णित की गई तथा 34 शिकायतें 31–3–2008 को निपटान हेतु लम्बित रही। निर्णित 104 शिकायतों में से केवल 13 अस्वीकृत की गई। प्राप्त निर्णित तथा लम्बित पड़ी शिकायतों का अवधिवार ब्योरा निम्नलिखित है :–

प्राप्त निर्णित तथा 31–3–2008 को लम्बित शिकायतों का ब्यौरा।

(i) वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निर्णित शिकायतें

| | | |
|---|---|---|
| (क) | वर्ष 2006–07 की लम्बित शिकायतें | 5 |
| (ख) | वर्ष 2007–08 में प्राप्त शिकायतें | 134 |
| (ग) | वर्ष के दौरान निर्णित शिकायतें | 105 |
| (घ) | दिनांक 31–3–2008 को लम्बित शिकायतें | 34 |

(ii) वर्ष के दौरान निर्णित शिकायतें :–

| | | |
|---|---|---|
| (क) | एक माह से कम अवधि में निर्णित | 47 |
| (ख) | एक माह से अधिक पर 2 माह से कम अवधि में निर्णित | 40 |
| (ग) | दो माह से उपर की अवधि में निर्णित | 18 |

(iii) 31–3–2008 को लम्बित शिकायतों का ब्यौरा :–

| | | |
|---|---|---|
| (क) | एक माह से कम अवधि तक लम्बित | 15 |
| (ख) | एक से दो माह तक की अवधि तक लम्बित | 10 |
| (ग) | दो माह से अधिक अवधि तक लम्बित | 9 |

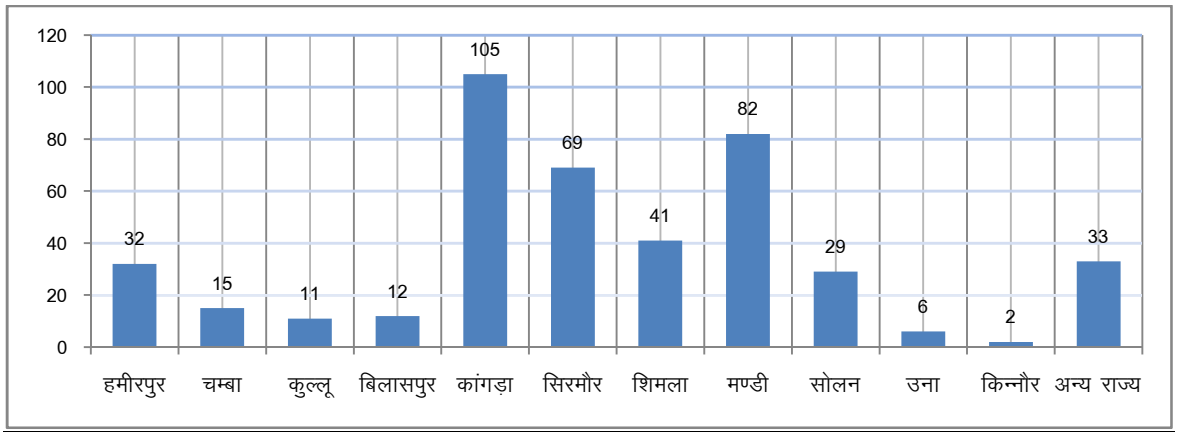
6. राज्य सूचना आयोग ने विभिन्न अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं को मु0 22,800 रूपये के मुआवजे की अदायगी करने हेतु जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया है तथापि किसी भी जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना नहीं लगाया गया हालांकि दो मामलों में जन सूचना अधिकारियों को लिखित चेतावनी दी गई।

7. उक्त अपीलों तथा शिकायतों के अलावा रिपोर्टाधीन अवधि में, राज्य सूचना आयोग को 437 विविध आवेदन/प्रतिवेदन भी प्राप्त हुए जिन्हें सम्बन्धित जन सूचना अधिकारियों/जन प्राधिकारियों को अग्रेषित किया गया। इन आवेदनों/प्रतिवेदनों पर की जाने वाली कार्यावाही पर आयोग द्वारा अनुवर्ति कार्यवाही की गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदकों को उचित उत्तर प्राप्त हों। ऐसा न होने की स्थिति में कुछेक आवेदनों/प्रतिवेदनों को आयोग को भेजी गई शिकायतों के रूप में लिया गया। वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों/प्रतिवेदनों को ब्यौरा निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है।

आयोग में प्राप्त विविध आवेदनों/प्रतिवेदनों की संख्या जिन्हें सम्बन्धित जन सूचना अधिकारियों/जन प्राधिकारियों को अग्रेषित किया गया :–

| क्रमांक | जिला नाम | प्राप्त आवेदनों/प्रतिवेदनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | हमीरपुर | 32 |
| 2. | चम्बा | 15 |
| 3. | कुल्लू | 11 |
| 4. | बिलासपुर | 12 |
| 5. | कांगड़ा | 105 |
| 6. | सिरमौर | 69 |
| 7. | शिमला | 41 |
| 8. | मण्डी | 82 |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | सोलन | 29 |
| 10. | उना | 6 |
| 11. | किन्नौर | 2 |
| 12. | राज्य के बाहर से | 33 |
| | | --- |
| | कुल जोड़ | 437 |
| | | --- |




## "सूचना का अधिकार–केन्द्र"

जिलाधीश कुल्लू कार्यालय में एक सूचना का अधिकार केन्द्र स्थापित किया गया है। जिलाधीश कार्यालय के भीतर तथा बाहर, चारों उपमण्डल मैजिस्ट्रेट कार्यालयों (कुल्लू मनाली, बंजार तथा आनी), पांचों खण्ड विकास अधिकारी कार्यालयों(कुल्लू, बंजार, आनी, निरमण्ड, नग्गर) में बोर्ड लगाये गये है जिन पर विभिन्न जन सूचनाएं अंकित हैं। इन बोर्डों पर वे महत्वपूर्ण सूचनाएं दर्शायी गई है जिससे सम्बन्धित अधिकारियों से काम करवाने बारे जनता को जानकारी मिलती है। इन सूचनाओं में शामिल है– जिला कुल्लू–एक झलक, सूचना का अधिकार – किसी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी तक कैसे पंहुचा जा सकता है, प्रक्रिया आदि, वाहनों के पंजीकरण की जांच सूची, आर्मज लाईसैंस, शुल्क प्रक्रिया, चुनाव सम्बन्धित आवश्यक सूचना, प्रमाण पत्रों के लिए दस्तावेजों की जांच सूची, लाईसेंसों हेतु अपेक्षित दस्तावेज आदि।

# अध्याय–6

# प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्याक्रम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि वित्तीय तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत राज्य सरकारः–

(क) इस अधिनियम के अन्तर्गत जन साधारण अपने अधिकारों का कैसे प्रयोग करे तथा उन्हे विशेषतः सुविधा रहित समुदायों को जागरूक करने हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार कर, आयोजित करेगी।

(ख) उपरोक्त(क) में संदर्भित कार्यक्रम विकास व आयोजन में भागीदारी तथा उन्हें स्वंय चलाने हेतु सार्वजनिक प्राधिकरणों को प्रोत्साहित करेगी।

(ग) सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अपनी गतिविधियों सम्बन्धि सही तथा सामयिक सूचना के प्रभावी प्रसारण को प्रोत्साहित करेगी।

(घ) जन सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगी तथा प्रशिक्षण सम्बन्धित सामग्री सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रयोग हेतु उपलब्ध करवाएगी ।

2. अधिनियम के उक्त प्रावधान के अनुसरण में , हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमला ने जन सूचना अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के लिए 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए। 2006–07 के दौरान संस्थान द्वारा ऐसे 17 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए । इस प्रकार गत वर्ष संचालित कार्यक्रम के मुकाबले रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आधे से भी कम प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए।

3. वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त हिमाचल प्रदेश द्वारा विभिन्न जिलों का दौरा किया गया और जन सूचना अधिकारियों व सहायक जन सूचना अधिकारियों तथा गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इन बैठकों मे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताओं तथा अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों बारे, अधिकारियों को जानकारियां दी गई। उन से यह भी

निवेदन किया गया कि वे अपने क्षेत्रीय दौरों के दौरान, अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया का आम जनता में पर्याप्त प्रचार प्रसार करें। इस बात पर भी बल दिया गया कि वे प्राप्त आर टी आई आवेदनों पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही कर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदकों को अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाए।

---

ई–सूचना

सूचना के अधिकार को ई–गर्वनेस के साथ जोड़ने के उद्देश्य से कुल्लू जिला मुख्यालय में ई–सूचना केन्द्र स्थापित किया गया है । जनता को एक साल तक यूजर फ्रेंडली तरीके से विभिन्न सूचनाप्रदान करने हेतु एक टच सक्रीन खोखा स्थापित किया गया जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध है :–

- ❖ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006, कुल्लू जिला के पी आई ओ/ए पी आई ओ की सूची, धारा 4(1)(ख) के अधिनियम ऐच्छिक प्रकटीकरण तथा आवेदन करने का प्रपत्र ।
- ❖ भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की ग्रामीण विकास योजनाएं
- ❖ चालू ग्रामीण विकास योजनाओं की सूची, जिसमें उनका शीर्ष, स्वीकृत तिथि, स्वीकृत धनराशि, खर्च की गई धनराशि तथा योजना की वर्तमान स्थिति में दर्शायी गई है।

उपरोक्त किसी भी सूचना का प्रिन्ट ई–सूचना केन्द्र से नाममात्र खर्च पर कोई भी व्यक्ति ले सकता है।

# अध्याय–7

# अभिमत एवं संस्तुतियां

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(1) के अधीन सौंपी गई द्वितीय रिपोर्ट में , राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को सुचारू तथा प्रभावी कियान्वयन हेतु, आयोग द्वारा कुछ संस्तुतियां की गई थी । उस रिपोर्ट के अभिमत तथा संस्तुतियों पर राज्य सरकार की कृतकार्यवाही रिपोर्ट अभी आनी शेष है ।

2. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सूचना लेने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विभिन्न पी आई ओ द्वारा कृत कार्यवाही की आयोग द्वारा समीक्षा की गई । जिसमें पाया गया कि कुल 10,105 आवेदन अधिनियम के अन्तर्गत सूचना लेने के लिए 118 जन अधिकारियों को प्राप्त हुए। जिनमें से मात्र 283 मामलें जन सूचना अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किए गए। इस के अतिरिक्त नामित अपीलीय प्राधिकारी के पास 267 प्रथम अपीले दायर हुई तथा 134 शिकायतें राज्य सूचना आयोग में प्राप्त हुई। इतनी कम मात्रा में प्राप्त प्रथम अपीलें तथा शिकायतों से जाहिर है कि राज्य में विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों के प्रत्युत्तर से आवेदक आम तौर पर संतुष्ट रहे। आयोग ने यह भी पाया कि अधिकतर शिकायतें पीआईओ से विलम्ब से उतर प्राप्ती के सम्बन्धित थी। काफी मामलों में विलम्ब का कारण पी आई ओ को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की जानकारी न होना पाया गया। आयोग में दायर द्वितीय अपीलों की संख्या भी वर्ष के दौरान दायर आवेदनों की संख्या के मुकाबले काफी कम रही।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा पर्याप्त मात्रा में जन सूचना अधिकारी तथा सहायक जन सूचना अधिकारी नांमित किए जाने आपेक्षित थे। इन प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी भी नांमित किए जाने आपेक्षित थे। इन प्रावधानों के

अनुसरण में, विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर्याप्त मात्रा में पी आई ओ, ए पी आई ओ तथा अपीलय प्राधिकारी नांमित किए गए हैं। तथापि आयोग के ध्यान में लाया गया है कि राज्य में कुछ सार्वजनिक प्राधिकरणों जैसे जिला रैडक्रास समितियों, मन्दिर समितियां तथा मेला समितियों आदि द्वारा पी.आई.ओ. /ए.पी.आइ.ओ./अपीलीय प्राधिकारी नांमित नहीं किए गए हैं। ये समितियां राज्य सरकार द्वारा गठित की गई है और इनका कार्य तथा नियन्त्रण भी सरकारी अधिकारियों के पास ही है । अतः ये सभी समितियां सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणों की श्रेणी में आती हैं। इसलिए संस्तुत किया जाता है कि प्रदेश सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग इन सभाओं/समितियों को निर्दिष्ट करें कि वे पी.आई.ओ./ए.पी.आइ.ओ.तथा अपीलीय प्राधिकारी तुरंत नामित करें ताकि अधिनियम के अधीन आवेदन सूचना लेने हेतु उन्हें आवेदन कर उनसे सूचना प्राप्त कर सके।

4. अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की गतिविधियों बारे 17 मदों पर एच्छिक प्रकटीकरण किए जाने का प्रावधान है ।सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा ऐसे प्रकटीकरणों को समय–समय पर अद्यतन किया जाना भी अपेक्षित है। हालांकि, अधिकतर सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अधीन राज्य स्तर पर सूचना को अध्यतन कर प्रकाशित किया गया है तथापि इन प्राधिकरणों के जिला स्तरीय कार्याल्यों में उनकी प्रतियां अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए पुनः दोहराया जाता है कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में निहित प्रकाशन राज्य में सार्वजनिक प्राधिकरणों के सभी कार्यालयों में उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा सम्बन्धित जिला कार्यालय द्वारा अपने कार्यालय सम्बन्धी सूचना प्रकाशित नहीं की गई है । विभागों/बोर्डो तथा निगमों के अधिकतर जिला अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुसरण में अपेक्षित सूचना का ऐच्छिक प्रकटीकरण सम्बन्धित विभाग/बोर्ड तथा निगम द्वारा राज्य स्तर पर किया जाता है और जिला स्तर पर ऐसे प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। फिर भी, अधिनियम की इस धारा के प्रावधानों को शब्दशः क्रियान्वित करने के उद्देष्य से विभागों/बोर्डों तथा

निगमों के जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा भी अपने जिले से सम्बन्धित 17 मदो पर सूचना प्रकाशित की जानी अपेक्षित है तथा उसे जिला में स्थित अपने सभी कार्यालयों में उपलब्ध करवाया जाना भी अपेक्षित है। जिला स्तर पर इस प्रकार की ऐच्छिक प्रकटीकरण से आर.टी.आई. आवेदनों की संख्या घटेगी तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकेगा। इसलिए, द्वितीय रिपोर्ट में संस्तुत किया गया था कि विभिन्न विभागों/बोर्डों तथा निगमों के जिला स्तरीय कार्यालयों को अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के प्रावधानों में अपेक्षित सूचना प्रकाशित करने हेतु कहा जाए । इसे क्रियान्वयन करने हेतु पुनः संस्तुत किया जाता है।

**"सूचना का अधिकार उपलब्धता"**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) की आवश्यकताओं के अनुपालन में जिलाधीश कुल्लू द्वारा ऐच्छिक प्रकटीकरण दस्तावेज तैयार किया गया है। यह दस्तावेज जन साधारण के लिए उपलब्ध है तथा इसे जिला की वैबसाईट पर भी डाल दिया गया है। पी.आई.ओ. की सूचि और सूचना अधिकार आवेदन पत्र की रूपरेखा (आवेदन तथा निरीक्षण करने के लिए), जिला, उपमण्डल तथा मण्डल आदि स्तर के महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़े जिला वैबसाईट में उपलब्ध कराए गए हैं।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सभी पंचायती राज संस्थाएं तथा शहरी स्थानीय निकायें भी सार्वजनिक प्राधिकरण हैं। इस प्रकार ये निकायें अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत 17 मदों पर ऐच्छिक प्रकटीकरण को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। प्रायः यह देखा गया है कि इन में से अधिकतर संस्थाएं तथा निकायें, अधिनियम की धारा 4(1)(ख) की अपेक्षाओं के अनुरूप सूचना तैयार करने तथा प्रकाशित करने में सक्षम नहीं हैं। अतः यह सिफारिश की जाती है कि राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग तथा शहरी विकास विभाग अपने अधीन निकायों के लिए एक प्रारूप नमूना तैयार कर उसे परिचालित करें जैसे कि इन सभी निकायों के लिए

अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में प्रावधित है। इससे समस्त पंचायती राज संस्थान तथा शहरी स्थानीय निकायें सूचना को अद्यतन तथा प्रकाशित करने में सक्षम होगी जैसा कि उक्त धारा में बताया गया है।

6. आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई दूसरी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक जिला विशेष के सार्वजनिक प्राधिकरण के नामित पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ/अपील प्राधिकारियों का पूर्ण विविरण सम्बन्धित जिला के सभी कार्यालयों में उपलब्ध करवाया जाए। आयोग द्वारा यह भी सिफारिश की गई थी कि पी.आई.ओ आदि का पूर्ण विविरण सम्बन्धित सार्वजनिक प्राधिकरण के जिला स्तरीय कार्यालयों में प्रमुख स्थान पर सूचना बोर्ड पर लगाया जाए। तथापि यह पाया गया कि पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ/अपील प्राधिकारियों का ऐसा विविरण सामान्यतः जिला स्तर तथा उपमण्डल स्तर के कार्यालयों में उपलब्ध नहीं है तथा बहुत से जिला कार्यालयों में सूचना बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं। अतः आयोग की सिफारिशें संतोषजनक ढंग से लागु नहीं हो रहीं है क्योंकि जन साधारण के पास इन विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के पी.आई.ओ../ए.पी.आई.ओ/अपील प्राधिकारियों के नाम, पदनाम तथा कार्यालयों के बारे में जानकरी नहीं हैं। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत आयोग पुनः सिफारिश करता है कि जिला से सम्बन्धित सभी कार्यालयों मे पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ/अपील प्राधिकारियों के पदनाम सहित पूर्ण विवरण विभागों के जिला कार्यालयों तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों के द्वारा अपने सूचना पट पर प्रमुखता से दर्शाया जाए।

7. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के साथ विभिन्न जिलों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकों के दौरान विचारविमर्श तथा विभिन्न शिकायतों व अपीलों की सुनवाई के दौरान, आयोग ने यह पाया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा इसके अन्तर्गत बने विभिन्न नियमों की जानकारी के अभाव में पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ. निर्णय लेने में देरी करते हैं। अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के सम्बन्ध में पी.आई.ओ. तथा ए.पी.आई.ओ. को जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान(हिप्पा) द्वारा केवल सात प्रशिक्षण कार्यक्रम संचिालित किए गए। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान द्वारा वर्ष 2007–08 के दौरान संचालित

कार्यक्रमों की संख्या गत वर्ष के दौरान संचालित कार्यक्रमों की संख्या से काफी कम रही। फलस्वरूप इतने कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रदेश के बहुत कम पी.आई.ओ./ए.पी. आई.ओ. को प्रशिक्षण प्राप्त हो सका। पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ. तथा अपील प्राधिकारियों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान को इन अधिकारियों के लिए अधिक संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि प्रमुख विभागों के पी.आई.ओ. को अगले वित वर्ष के दौरान प्रशिक्षण दिया जा सके। आयोग द्वारा अपनी दूसरी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई थी कि राज्य में हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा नियम के दायरे में लाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करें। जैसा कि पहले बताया गया है कि अभी भी पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ. /अपील प्राधिकारियों को अधिनियम के उपबन्धों के बारे में जागरूकता की कमी है। अतः आयोग पुनः सिफारिश करता है कि अगले वित्त वर्ष में हिप्पा तथा राज्य सरकार के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में भी अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के सम्बन्ध में पी. आई.ओ./ए.पी.आई.ओ./अपील प्राधिकारियों को जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण होने चाहिए। आयोग, हिमाचल प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समयबद्ध पद्धति से प्रशिक्षण की सिफारिश करता है।

8. उच्चतर शिक्षा विभाग तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा खण्ड स्तर तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्तर पर अधिक संख्या में पी.आई.ओ. तथा ए.पी.आई.ओ. नामित कर दिए गए हैं। आयोग द्वारा यह पाया गया है कि दोनों विभागों के पी.आई.ओ. /ए.पी.आई.ओ. को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा एच.पी.आर.टी.आई नियम, 2006 के विभिन्न उपबन्धों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। इससे आमतौर पर इन विभागों द्वारा सूचना अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों को निपटाने में विलम्ब होता है। कुछ दूसरे विभागों के खण्ड या उपमण्डल स्तर पर तैनात पी.आई. ओ./ए.पी.आई.ओ. में भी इस प्रकार की जागरूकता का अभाव ध्यान में आया है। बहुत से मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा एच.पी.आर.टी.आई नियम, 2006 की अनुपलब्धता का उल्लेख भी पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ. द्वारा किया गया है। अतः

आयोग द्वारा अपनी द्वितीय रिपार्ट में यह सिफारिश की गई थी कि सभी पी.आई.ओ./ए. पी.आई.ओ. तथा अपील प्राधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा एच. पी.आर.टी.आई. नियम, 2006 की प्रतियां सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई जाए। इस अधिनियम तथा नियम की प्रतियां राज्य में स्थित पुस्तकालयों में भी उपलब्ध करवाया जाए। पी.आई.ओ. तथा ए.पी.आई.ओ. में जागरूकता की कमी का होना एक गम्भीर मामला है। इसलिए आयोग पुनः सिफारिश करता है कि राज्य सरकार उपरोक्त सुझाव को लागू करने के लिए उपयुक्त पग उठाए।

9. हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 में यह व्यवस्था है कि किसी भी दस्तातेज की 30 मिनट तक या उसके एक भाग तक निरीक्षण हेतु 20 रूपये शुल्क देय होगा। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों में पहले एक घण्टे या इसके अंश तक के निरीक्षण को मुफत तथा इसके बाद के निरिक्षण हेतु, प्रति घण्टे के लिए 5 रूपये शुल्क रखा गया है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा निर्धरित शुल्क अधिक है। आयोग ने अपने द्वितीय रिपोर्ट में दस्तावेज के निरिक्षण हेतु शुल्क कम करने की सिफारिश की थी। वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य सरकार ने ए–4 या इससे कम आकार के दस्तावेज के उपलब्धता हेतु शुल्क में कमी कर दी है लेकिन निरीक्षण के लिए शुल्क अभी तक कम नहीं किया गया है। क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क केन्द्र सरकार तथा कुछ अन्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित शुल्क से बहुत अधिक है अतः पुनः यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार हि0प्र0 सूचना का अधिकार नियम, 2006 में निरिक्षण सम्बन्धित निर्धारित शुल्क में कमी करने पर विचार करे। इसके अतिरिक्त ए–5 तथा ए–6 आकार के कागज के शुल्क में भी कमी करने का समुचित औचित्य बनता है। अतः राज्य सरकार ए–5 तथा ए–6 आकार के कागज के दस्तावेज शुल्क में भी कमी करने पर भी विचार करे।

10. अधिकार का सूचना अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(क) में अनुबन्ध किया है प्रत्येक जन प्राधिकारी निम्न कार्य करेंगेः–

- इसके समस्त रिकार्ड को व्यवस्थित, विधिवत रूप में इस क्रम से रखा जाए जिससे इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना की प्राप्ति सरल हो तथा

- सुनिश्चित किया जाए कि समस्त रिकार्ड जो कम्पयूट्रीकरण के लिए उपयुक्त है, उसे समुचित समय तथा संसाधनों के उपलब्धि के अनुसार, कम्पयूट्रीकरण करवा दिया जाए तथा नेटवर्क के माध्यम से देश की विभिन्न कम्पयूटर पद्धतियों द्वारा ऐसे रिकार्ड को प्राप्त करने में सरलता हो।

11. अधिनियम के उपर्युक्त उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि रिकार्ड प्रबन्धन की विद्यमान पद्धतियां, विभिन्न वर्गों के रिकार्डों को रखने की अनुसूची एवं सूचीकरण पद्धतियां और रिकार्डों की संक्ष्या का जनप्राधिकारियों द्वारा समीक्षात्मक पुनरीक्षण हो। इस अधिनियम के कारण रिकार्ड प्रबन्धन के कानूनी ढांचे में विशेषतः इलैक्ट्रानिक रिकार्ड के सर्जन और विलोपन के बारे में बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगने के विषय पर विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन में रिकार्ड का उचित सूचीपत्र और सूचीबद्ध महत्वपूर्ण होगा। उसके साथ–साथ आयोग ने अपनी पहली दी गई रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्य सरकार ऐसे आवश्यक कदम उठाए जिसमें रिकार्ड के कम्पयूट्रीकरण के लिए पर्याप्त निधि का प्रावधान हो जिससे रिकार्ड समुचित रूप से कम्पयूट्रीकृत हो और प्रदेश में नेटवर्क के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से विनिर्दिष्ट समय में जोड़ा जा सके।

12. आयोग ने पाया है कि राज्य सरकार द्वारा हिमसवान स्थापित किया गया है तथा हिमाचल प्रदेश सचिवालय में रैफनिक को लागू किया जा रहा हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की वैबसाईट भी तैयार की जा रही है तथा वैबसाईट पर राजपत्र अधिसूचनाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है। अधिनियम की धारा 4(1)(क) के उपर बताए गए उपबन्धों को लागू करने के लिए यह उपलब्धियां स्वागत योग्य है। फिर भी विभिन्न सार्वजनिक प्रधिकरणों द्वारा समयबद्ध ढंग से अभिलेखों को कम्पयूट्रीकरण करने की आवश्यकता है। अतः आयोग पुनः यह सिफारिश करता है कि राज्य सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आगामी वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान सूचना का अधिकार

अधिनियम, 2005 के धारा 4(1)(क) के उपबन्धों को लागू करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार करे। इससे सूचना प्राप्त करने के लिए आने वाले आवेदन पत्रों में कमी होने की प्रत्याशा है और अधिनियम के अन्तर्गत पी.आई.ओ. को निर्धारित समय अवधि के भीतर अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवानी सम्भव होगी। इससे इस अधिनियम के अन्तर्गत अपीलों तथा शिकायतों के आवेदन पत्रों की संख्या में भी कमी आएगी।

# हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2008

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उप धारा (4) तथा हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के नियम 6 के उप नियम (7) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निम्नलिखित विनियम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के दिन प्रतिदिन की कार्यवाहियों के प्रबन्धन के लिए बनाए गए :–

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ : – (1) ये विनियम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियम, 2008 कहलाएगें।

(2) ये विनियम एक सितम्बर, 2008 से प्रवृत्त होंगे।

(3) अपीलें तथा शिकायतें जो कि इन विनियमों के लागू होने से पहले प्रस्तुत हो चुकी होंगी उन पर पूर्व अनुसार ही कार्यवाही होगी तथा वे किसी भी कमी की वजह से खत्म नहीं होगीं । परन्तु ये विनियम निलम्बित अपीलों व शिकायतों की आगामी कार्यवाही पर लागू होगें।

2 परिभाषाएं (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय, सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (केन्द्रीय अधिनियम 2005 का 22) से है।

(ख) ''मुख्य सूचना आयुक्त'' से अभिप्राय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश से है।

(ग) ''आयोग'' से अभिप्राय, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग से है।

(घ) ''निर्णय'' में आदेश, निर्देश या मुददे पर अवधारणा शामिल है।

(ण) ''प्रपत्र'' से अभिप्राय, इन विनियमों में संलग्न प्रपत्र से है।

(च) ''प्रथम अपील प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, वह अधिकारी जिसे सार्वजनिक प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम की धारा 19 (1) के अनुसार नियुक्त या

अधिसूचित किया गया हो । यदि जन प्राधिकरण द्वारा ऐसा अधिकारी नियुक्त अथवा अधिसूचित नहीं किया गया हो तो वह अधिकारी जो राज्य जन सूचना अधिकारी से पद में वरिष्ठ हो।

(छ) ''पूर्ण न्यायपीठ'' से अभिप्राय, मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त जो मामले को संयुक्त रूप से सुन रहे हों, से है।

(ज) ''सूचना आयुक्त'' से अभिप्राय, राज्य सूचना आयुक्त हिमाचल प्रदेश से है।

(झ) ''पीठासीन अधिकारी'' से अभिप्राय, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त जोकि अपील या शिकायत को अधिनियम के अन्तर्गत सुन रहे हों, से है।

(ञ) ''पंजीयक'' से अभिप्राय, पंजीयक आयोग तथा आयोग के दूसरे अधिकारी जोकि आयोग द्वारा पंजीयक के किसी कार्य निर्वहन के लिए प्राधिकृत हो, से है।

(त) ''प्रतिनिधि'' से अभिप्राय, वह व्यक्ति जोकि अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हो, से है।

(1) ''नियम'' से अभिप्राय, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 27 के अधीन बनाए गए नियम (इसमें अधिनियम की धारा 28 के अधीन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम भी शामिल होगें), से है । और

(2) इस अधिनियम में शब्द और अभिव्यक्तियां जो प्रयुक्त की गई है परन्तु परिभाषित न हुई हों उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम अथवा नियमों में निर्दिष्ट है ।

3 आयोग की बैठकें :– (1) अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन से संबंधित तथा आयोग की गतिविधियों के प्रबन्धन के दृष्टिगत ऐसे महत्वपूर्ण मामले जिन्हें मुख्य सूचना आयुक्त तय करे, के निर्णयों के लिऐ आयोग की बैठकें आयोजित की जाएँगी।

(2) आयोग की बैठक की कार्यवाही, आयोग का स्थाई अभिलेख का हिस्सा बन जाएगा और कार्यवृत पुस्तक आयोग के पंजीयक के पास रहेगी।

4 पंजीयक का पद :– आयोग का एक अधिकारी, आयोग का पंजीयक पदनामित होगा।

5 पंजीयक की शक्तियां और कार्य :– (i) पंजीयक, आयोग का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होगा।

(ii) पंजीयक उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे सभी कार्यों का निवर्हन करेगा जो कि उसे इन विनियमों अथवा समय–समय पर मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपे गए हों।

(iii) पंजीयक कार्यों का निर्वहन मुख्य सूचना आयुक्त के नियन्त्रण तथा देख–रेख में करेगा।

(iv) मुख्य सूचना आयुक्त के सामान्य या विशेष आदेश पर आयोग की प्राधिकारिक मोहर किसी भी आदेश, समन या अन्य प्रक्रिया पर पंजीयक के प्राधिकार अनुसार लगाई जाएगी।

(v) पंजीयक, आयोग के निर्णयों को सम्बन्धित व्यक्तियों को संप्रेषित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(vi) पंजीयक, आयोग द्वारा पारित किए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(vii) पंजीयक, मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त को उनके कार्य निष्पादन में सहायता करेगा।

(viii) पंजीयक, मुख्य सूचना आयुक्त के अनुमोदन से आयोग के किसी भी अधिकारी को उन उपबन्धों के अन्तर्गत किसी भी कार्य करने के लिए प्रत्यायोजित कर सकता है।

(ix) पंजीयक, मामले के अभिलेखों के सही प्रबन्धन तथा मामलों की सूची को तैयार करने का जिम्मेवार होगा।

(x) पंजीयक, आयोग की वेबसाइट को तैयार करवाने, ब्यवस्था करने तथा अपलोड करवाने सहित उचित अनुक्रम व प्रतिनिर्देशों सहित आयोग के निर्णयों को वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने के लिए उत्तरदायी होगा।

6 कार्य समय : – मुख्य सूचना आयुक्त के आदेशों के अधीन आयोग का कार्यालय सभी कार्य दिवसों के दिनों में प्रातः 10 से 5 बजे तक खुला रहेगा तथा दोपहर 1. 30 से 2 बजे तक आधे घण्टे का भोजन अवकाश रहेगा।

7 छुटिटयां :– आयोग में जनवरी–फरवरी के दौरान दो से चार सप्ताह का सर्दकालीन अवकाश तथा जून–जुलाई माह के दौरान दो सप्ताह का ग्रीष्मकालीन अवकाश मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। परन्तु आयोग का कार्यालय इन छुटिटयों के दौरान, सार्वजनिक अवकाशों को छोड कर, खुला रहेगाा। मुख्य सूचना आयुक्त अवकाश के दौरान जरूरी विषयों को निपटाने के लिए उपयुक्त प्रबन्ध करेगा।

8 अपीलों व शिकायतों की संवीक्षा :– पंजीयक, आयोग में प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों के ज्ञापन की संवीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि :–

(i) नियमों में दर्शाए गए सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ इसमें समाविष्ट हैं;

(ii) अपील अथवा शिकायत विधिवत सत्यापित है तथा वांछित प्रतिलिपियाँ जमा करवाई गईं हैं;

(iii) अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता द्वारा नत्थी किए गए सभी दस्तावेज विधिवत सत्यापित हैं; और

(iv) सभी दस्तावेंजों की प्रतिलिपियाँ जोकि दायर तथा जमा की गई हैं साफ, सुस्पष्ट और पढने योग्य हैं।

9 अपीलों का इन्द्राज :– पंजीयक अपील/शिकायत का ज्ञापन आगामी आदेशों हेतु मुख्य सूचना आयुक्त के सम्मुख प्रस्तुत करेगा तथा उसके बाद अपील/शिकायत का इंद्राज प्रपत्र अ या ब, जैसा भी विषय हो, में करेगा।

10 कार्य का वितरण :– मुख्य सूचना आयुक्त स्वयं अथवा सूचना आयुक्त के साथ आयोग में प्राप्त सभी प्रकार की अपीलों/शिकायतों की सुनवाई कर सकता है तथा किसी श्रेणी अथवा वर्ग की अपीलों/ शिकायतों को सूचना आयुक्त या पूर्ण न्यायपीठ को निर्णय के लिए सौंप सकता है । मुख्य सूचना आयुक्त किसी भी अपील या शिकायत को आयुक्त से अपने पास या पूर्ण न्यायपीठ को स्थानान्तिरत भी कर सकता है।

11 पूर्ण न्यायपीठ का गठन :– मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के सम्मुख प्रस्तुत की गई अपील या शिकायत या अन्य कार्यवाही की सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी अगर यह समझता है कि यह मामला पूर्ण न्यायपीठ द्वारा निपटाया जाना चाहिए तो वह मामले को मुख्य सूचना आयुक्त को भेज सकता है । मुख्य सूचना आयुक्त यदि उचित समझे तो उस मामले की सुनवाई अथवा निपटान के लिए पूर्ण न्यायपीठ को अनुमत कर सकते हैं। परन्तु इस उददेश्य के लिए विनियम में अपीलकर्ता अथवा शिकायत कर्ता को आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा।

12 अपील अथवा शिकायत में संशोधन या वापिस लेना :–यदि अपीलकर्ता या शिकायतकर्ता सुनवाई के दौरान अपील या शिकायत बारे लिखित रूप में संशोधन या वापिस लेने के लिए प्रार्थना करता है तो पीठासीन अधिकारी उस प्रार्थना को स्वीकार कर सकता है। तथापि यदि किसी मामले को पूर्ण रूप से सुन लिया गया हो अथवा उसमें निर्णय या आदेश दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई भी उपरोक्त प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी।

13 प्रतिकथन को दायर करना :– मुख्य सूचना आयुक्त अथवा सूचना आयुक्त अपील या शिकायत की सुनवाई के दौरान जन सूचना अधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी अथवा सम्बन्धित सार्वजनिक प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी से अपने प्रतिकथन दायर करने के लिए, कह सकता है जिसकी प्रतिलिपि अपीलकर्ता /शिकायतकर्ता को भी देनी होगी।

14 अपीलकर्ता व शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति :–

(i) अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को सुनवाई की तिथि बारे सुनवाई के सात दिन पहले सूचित करना होगा।

(ii) अपीलकर्ता या शिकायकर्ता के विवेक पर निर्भर करेगा कि अपील अथवा शिकायत की सुनवाई के दौरान स्वयं उपस्थित हो या अपने किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजें । वह उपस्थित न होने के विकल्प का चयन भी कर सकता है।

(iii) पीठासीन अधिकारी यदि अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता के सुनवाई में उपस्थित न होने के कारणों से सन्तुष्ट है तो वह अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को अंतिम निर्णय लेने से पहले सुनने का अवसर प्रदान कर सकता है अथवा कोई अन्य कार्यवाही, जो भी उचित समझे, कर सकता है।

(iv) अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता, पीठासीन अधिकारी के सम्मुख अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति की सहायता ले सकता है तथा यह जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति विधिक व्यवसायी है।

(v) यदि अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता, अपील या शिकायत की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप में अथवा अपने विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित न होने की लिखित सूचना भेजता है और यह चाहता है कि मामले का निर्णय उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सुनाया जाए तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी निर्णय या आदेश इसी आधार पर कर सकता है।

(vi) यदि अपीलकर्ता या शिकायतकर्ता, नोटिस देने के बावजूद भी अनुपस्थित रहता है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्णय लेने के लिए अपना आश्य लिखित रूप में नहीं भेजता है तो अपील अथवा शिकायत को खारिज किया जा सकता हे। बशर्ते यदि अपील या शिकायत इस स्वरूप की है जिसका निर्णय लेना जनहित में तथा अधिनियम के प्रयोजन में सहायक होगा, पीठासीन अधिकारी गुण–दोष के आधार पर मामले में एक तरफा निर्णय दे सकता है।

(vii) अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता की मृत्यु के मामलों में कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।

15 सुनवाई की तारीख को अधिसूचित करना :– मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा दिये गए सामान्य व विषेश आदेशों के अनुसार पीठासीन अधिकारी अपील अथवा शिकायत की सुनवाई की तारीख और स्थान पक्षों को अधिसूचित करेगा।

16 सुनवाई की तारीख स्थगित करना :– अपीलकर्ता या शिकायतकर्ता अथवा कोई भी प्रतिवादी प्रर्याप्त कारणों के साथ सुनवाई की तारीख को स्थगित करने के लिए पीठासीन अधिकारी को आवेदन कर सकता है । पीठासीन अधिकारी आवेदन पर विचार कर इस बारे जैसा उचित समझे आदेश पारित कर सकता है।

17 सूचना आयोग के समक्ष साक्ष्य :– अपील अथवा शिकायत का निर्णय करते समय मुख्य सूचना आयुक्त के सामान्य आदेशों अनुसार पीठासीन अधिकारी निम्न रूप से कार्य करेगें :–

(i) सम्बन्धित व्यक्तियों से मौखिक व लिखित रूप से गवाही शपथ पर या शपथ पत्र पर लेना;

(ii) दस्तावेजों, जन अभिलेखों व उनकी प्रतिलिपियों की जांच अथवा अनुशीलन करना;

(iii) प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से सही विवरणों अथवा तथ्यों की जानकारी लेना;

(iv) व्यक्तिगत रूप में सुनवाई अथवा जांच या जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्रधिकारी या ऐसा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से जिनके विरूद्ध शिकायत की गई हो, जैसा की मामला हो से शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; तथा

(v) किसी भी तृतीय पक्ष अथवा हस्तक्षेपक अथवा व्यक्ति या व्यक्तियों जिनकी गवाही पीठासीन अधिकारी द्वारा मामले में अनिवार्य अथवा प्रांसगिक मानी गई हो, उनसे शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना, सुनवाई अथवा जांच करना ।

18 समन जारी करना :– दोनों पक्षों अथवा गवाहों को हाजिर होने अथवा किसी भी वस्तु या अभिलेखों या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए समन पंजीयक द्वारा आयोग के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाएंगें तथा यह मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी होगें।

19 जांच का संचालन :– पीठासीन अधिकारी अपने पास लम्बित शिकायत को पंजीयक अथवा किसी दूसरे अधिकारी को जांच हेतु सौंप सकता है तथा जांच अधिकारी के पास जांच के दौरान सभी आवश्यक शक्तियाँ निम्नलिखित शक्तियों सहित होंगी :–

(i) समन और व्यक्तियों की उपस्थिति लागू करना य

(ii) अभिलेखों या इससे सम्बन्धित वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए वाध्य करना य

(iii) शपथ दिलाना और मौखिक साक्ष्य लेना या शपथ पत्र प्राप्त करना या लिखित प्रमाण की विधिवत पुष्टि करना य

(iv) दस्तावेजों का निरीक्षण करना और अपेक्षित दस्तावेंजों का अन्वेषण य और

(v) किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरणों से अभिलेखों या जन अभिलेखों की मांग करना।

20 आयोग द्वारा खर्चा दिलवाना :– आयोग जब भी किसी मामले का निर्णय करता है तो दोनों पक्षों को, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, जो भी उचित हो, लागत अथवा क्षतिपूर्ति दिलवा सकता है।

21 निर्णय और आदेशों का संप्रेषण :–

(i) आयोग का प्रत्येक निर्णय अथवा आदेश सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी जिसके द्वारा मामले पर निर्णय दिया गया है, द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित होगा

परन्तु जहां मामला संयुक्त रूप से एक से अधिक पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्णित किया गया हो तो निर्णय अथवा आदेश ऐसे सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(ii) आयोग का प्रत्येक निर्णय/आदेश पंजीयक द्वारा प्रमाणिकरण करके पक्षों को संप्रेषित करना होगा।

(iii) पीठासीन अधिकारी का प्रत्येक निर्णय अधिनियम के अन्तर्गत आयोग द्वारा जारी माना जाएगा।

22 निर्णयों का अन्तिमरूप :– आयोग द्वारा एक बार सुनाया गया निर्णय या आदेश अन्तिम माना जाएगा।

23 मोहर व प्रतीक :– आयोग की शासकीय मोहर व प्रतीक वह होगी जोकि आयोग द्वारा अधिकृत की गई हो।

24 आयोग की भाषा :– आयोग में अपील या शिकायत हिन्दी या अग्रेंजी में दायर की जा सकती है और सभी दस्तावेज अथवा उनकी प्रतिलिपियों को भी हिन्दी या अग्रेंजी में दायर किया जा सकता है । जहां दस्तावेज मूल रूप में हिन्दी या अग्रेंजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हो तो हिन्दी या अंग्रजी में नुवादित अनुप्रमाणित प्रति मूल प्रति सहित दायर की जाएगी । यह प्रतिकथन, प्रतिउत्तर, उत्तर या अन्य किसी दस्तावेज या दस्तावेजों, जो भी आयोग के समक्ष दायर कियें गए हो, पर भी लागू होगा।

(ii) कार्यवाही बारे पीठासीन अधिकारी द्वारा निश्चित किया जाएगा की वह हिन्दी में या अग्रेंजी में की जाए।

25 शक्ति की व्याख्या :– यदि किसी विनियम की व्याख्या या विनियम के बनाने बारे कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो इस बारे मुख्य सूचना आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

पजीं फार्म– क

(देखें विनियम– 9)

| वर्ष | क्रमांक | पंजीकरण की तिथि | अपीलकर्ता का नाम व पता | प्राधिकारी का नाम जिसके आदेश के विरूद्व अपील की गई हो | जिस आदेश के विरूद्व अपील की गई हो उस की तिथि | पीठासीन अधिकारी जिसे सौपीं गई हो | निर्णय की तिथि | संक्षेप में अन्तिम निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

---

'अपील के निर्णय के बाद इन्द्रराज की जाए

पजीं फार्म– ख

(देखें विनियम– 9)

| वर्ष | क्रमांक | पंजीकरण की तिथि | परिवादी का नाम व पता | प्राधिकारी का नाम जिसके विरूद्व शिकायत की गई हो | संक्षेप में शिकायत का स्वरूप | पीठासीन अधिकारी जिसे सौपीं गई हो | निर्णय की तिथि | संक्षेप में अन्तिम निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

---

शिकायत के निर्णय के बाद इन्द्रराज की जाए

**परिशिष्ट "ख"**

## 1.4.2007 से 31.3.2008 तक राज्य सूचना आयोग में प्राप्त अपीलों की अद्यतन स्थिति

| क्र.सं. | अपीलकर्ता का नाम व पता | पी.आई.ओ./प्रतिभारी का नाम व पता | संस्थापन की तिथि | आयोग द्वारा आदेश पारित करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री विनोद लखनपाल, बालूगंज, शिमला। | सहायक आयुक्त, नगर निगम, शिमला। | 18.1.2007 | 19.4.2007 |
| 2 | श्री बी.आर. धीमान, उप पंजीयक, कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, कांगड़ा। | श्री एस.पी. चौधरी, पी.आई.ओ.–एवं–सहायक पंजीयक, कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, कांगड़ा। | 21.1.2007 | 24.4.2007 |
| 3 | डा0 रीता भरवाल, डा0 एस.डी. भरवाल, चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रिय चिकित्सालय, उना, जिला उना। | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उना। | 23.2.07 | 7.5.07 |
| 4 | डा0 अनुपम नंदा सुपुत्र श्री पी. एल. नंदा, प्रबंधक विपणन, एस. डी.ए. कम्पलेक्स, शिमला–9 | पंजीयक, हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला–5 | 6.3.07 | 20.4.2007 |
| 5 | श्री ओंकार सिंह, हमीरपुर | कम्पनी सचिव, हि0प्र0 राज्य वन निगम, शिमला। | 13.3.07 | 10.5.2007 |
| 6 | श्री राम दास ठाकुर, प्रधान बिलासपुर ट्रक ओपरेटर सोसाइटी लि0, बरमाणा। | 1)श्री विशाल बंसल, गांव गसैर, डा0 जुखाला, जिला बिलासपुर।<br>2)सहायक पंजीयक–एवं–पी. आई.ओ. ट्रक सहकारी सभा सीमित, बिलासपुर। | 17.3.07 | 27.10.2007 |
| 7 | श्री प्रदीप कुमार, दैनिक वेतन भोगी कम्प्यूटर ओपरेटर, एग्रोफोरेस्टरी विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, कांगड़ा। | पी.आई.ओ.–एवं–प्रभारी (भर्ती), कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, कांगड़ा। | 21.3.07 | 7.5.2007 |
| 8 | श्री घनश्याम चंद ठाकुर, व0 सहायक, आर.डी. शाखा, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला। | सचिवालय प्रशासन, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला। | 7.2.07 | 20.4.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **जिला बिलासपुर** | | | | |
| 1 | श्री विशाल बंसल, सुपुत्र श्री चुनी लाल बंसल, गांव गसौर, डा0 जुखाला, बिलासपुर। | सहायक पंजीयक, सहकारी समिति, बिलासपुर। | 7.4.07 | 27.10.07 |
| 2 | श्री मनोज ठाकुर सुपुत्र श्री नाथु राम, गांव साई, डा0 सिकरोहा, जिला बिलासपुर। | उप महानिदेशक (प्रशासनिक), पुलिस मुख्यालय, शिमला। | 3.5.07 | 29.5.07 |
| 3 | श्री राम सिंह, प्रधान, हि0प्र0 भूतपूर्व सैनिक ट्रक ओपरेटर यूनियन, बरमाणा जिला बिलासपुर। | सचिव–एवं–मुख्य लेखा अधिकारी, हि0प्र0 भूतपूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर। | 2.7.07 | 30.707 |
| 4 | श्री शांति भूषण सुपुत्र श्री रूप लाल शर्मा, निवासी इंद्रा मार्केट घुमारवीं, जिला बिलासपुर। | सचिव, नगर पंचायत, घुमारवीं। | 6.7.07 | 17.8.07 |
| 5 | श्री सुभाष ठाकुर, मार्फत शर्मा हार्डवेयर, नजदीक पेट्रोल पम्प, घुमारवीं, जिला बिलासपुर। | उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, शिमला–1 | 23.7.07 | 20.8.07 |
| 6 | श्री रमेश चंद मार्फत श्री विद्यासागर, गांव डाकरी, डा0 व त0 घुमारवीं, जिला बिलासपुर। | उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, शिमला–1 | 23.707 | 20.8.07 |
| 7 | श्री अमर चन्द, सुपुत्र श्री देवी रूप, निवासी गांव कोटला, डा0 ब्रहमपुखर, त0 सदर, जिला बिलासपुर। | उप निरिक्षक (पंचायत), सदर, बिलासपुर। | 5.11.07 | 29.11.07 |
| 8 | श्री प्रेम सिंह ठाकुर, गांव बेला, डा0 ढाड, त0 झंडुता, जिला बिलासपुर। | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर। | 12.11.07 | 4.4.08 |
| **जिला चम्बा** | | | | |
| 1 | श्री चैन सिंह सुपुत्र श्री बेलो राम, गांव जुकानी, डा0 मलुंडा, त0 भटियात, जिला चम्बा। | उप मण्डलाधिकारी (ना.), भटियात स्थित चौवाड़ी। | 20.6.07 | 5.10.07 |

| जिला हमीरपुर | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमति रेखा कुमारी चंदेल, पत्नी श्री ओंकार सिंह, मकान न. 53, वार्ड न. 3, प्रताप नगर, हमीरपुर। | पुलिस अधिक्षक, हमीरपुर। | 3.04.07 | 22.1.08 |
| 2 | श्री ओंकार सिंह सुपुत्र श्री साधु राम, मकान न. 53, वार्ड न. 3, प्रताप नगर, हमीरपुर। | कम्पनी सचिव, हि0प्र0 वन निगम, शिमला | 27.6.07 | 26.7.07 |
| 3 | श्री धनराज सुपुत्र श्री माधो राम, गांव कमलाह, डा0 करौर, त0 नदौन, जिला हमीरपुर। | सहायक बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला। | 18.7.07 | 21.8.07 |
| 4 | श्री ओ.पी. मिश्रा, ए.एम.डी., वार्ड न, 1, कृष्णा नगर, हमीरपुर जिला हमीरपुर। | अवर सचिव, हि0प्र0 अधिनस्त सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर। | 29.6.07 | 1.10.07 |
| 5 | श्री ओ.पी. मिश्रा, ए.एम.डी., वार्ड न, 1, कृष्णा नगर, हमीरपुर जिला हमीरपुर | अवर सचिव, हि0प्र0 अधिनस्त सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर | 6.7.07 | 1.10.07 |
| 6 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 53, वार्ड न. 3, प्रताप नगर, हमीरपुर। | पुलिस अधिक्षक, हमीरपुर। | 27.7.07 | 22.1.08 |
| 7 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | मण्डलीय प्रबंधक, वन मण्डल, हमीरपुर एवं अन्य। | 3.9.07 | 28.9.07 |
| 8 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | प्रबंधक प्रशासनिक, हि0प्र0 वन निगम, कुसुम्पटी, शिमला। | 3.9.07 | 31.10.07 |
| 9 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | मण्डलीय प्रबंधक, वन मण्डल, हमीरपुर एवं अन्य। | 3.9.07 | 28.9.07 |
| 10 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, हमीरपुर। | 5.9.07 | 29.9.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | निदेशक पी एन्ड डी, हि0प्र0 राज्य वन निगम, शिमला–9 | 5.9.07 | 29.9.07 |
| 12 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | विशेष–कार्य अधिकारी, हि0प्र0 राज्य वन निगम, धर्मशाला। | 15.9.07 | 1.10. 07 |
| 13 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल, हमीरपुर। | 21.9.07 | 29.10.07 |
| 14 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हमीरपुर। | 21.9.07 | 29.10.07 |
| 15 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हमीरपुर। | 21.9.07 | 29.10.07 |
| 16 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | उप मण्डलाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर। | 21.9.07 | 30.10.07 |
| 17 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | उप मण्डलीय दण्डाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर। | 21.9.07 | 30.10.07 |
| 18 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | उप मण्डलाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर। | 21.9.07 | 30.10.07 |
| 19 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | विशेष–कार्य अधिकारी, हि0प्र0 राज्य वन निगम, धर्मशाला। | 15.9.07 | 31.10.07 |
| 20 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | विशेष–कार्य अधिकारी, हि0प्र0 राज्य वन निगम, धर्मशाला। | 15.9.07 | 3.11.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | मण्डलीय प्रबंधक, हि0प्र0 राज्य वन निगम, हमीरपुर। | 4.10.07 | 20.11.07 |
| 22 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | मण्डलीय प्रबंधक, हि0प्र0 राज्य वन निगम, हमीरपुर। | 4.10.07 | 21.11.07 |
| 23 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | उप मण्डलाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर। | 24.10.07 | 22.11.07 |
| 24 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा शिमला। | 1.11.07 | 15.7.08 |
| 25 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | उप मण्डलाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर। | 16.11.07 | 22.1.08 |
| 26 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | उप मण्डलाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर। | 16.11.07 | 22.1.08 |
| 27 | श्री ज्ञान चंद शर्मा, नया नगर, नवरंग पब्लिक स्कूल, हमीरपुर। | जिला शिक्षा अधिकारी, हमीरपुर। | 6.12.07 | 24.1.08 |
| 28 | श्री सुख देव, अतिरिक्त सहायक अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता, विद्युत उप–मण्डल, हि0प्र0लो0नि0वि0, हमीरपुर। | अधिशासी अभियंता, डी0, कार्यालय मुख्य अभियन्ता विद्युत, हि0प्र0लो0नि0वि0,, शिमला। | 11.1.08 | 26.2.08 |
| 29 | श्री बिधी चन्द, गांव भलवानी, डा0 बाहन्वी, त0 भोरंज, जिला हमीरपुर। | खण्ड विकास अधिकारी, भोरंज जिला हमीरपुर। | 13.3.08 | 8.4.2008 |
| 30 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | पुलिस अधिक्षक, हमीरपुर। | 31.3.08 | 15.7.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | कम्पनी सचिव, हि0प्र0 राज्य वन निगम, शिमला। | 31.3.08 | 6.5.08 |
| 32 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | अरण्यपाल, वन विभाग, टॉलैंड, शिमला। | 31.3.08 | 11.9.08 |
| 33 | श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | विशेष–कार्य अधिकारी, हि0प्र0 राज्य वन निगम, धर्मशाला। | 31.3.08 | 11.9.08 |
| 34 | श्रीमति रेखा कुमारी पत्नी श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | विशेष सचिव बहुदेशीय परियोजनाएं तथा विद्युत, हि0प्र0 सरकार। | 31.3.08 | 11.9.08 |
| 35 | श्रीमति रेखा कुमारी पत्नी श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | मण्डलीय प्रबंधक, हि0प्र0 राज्य वन निगम, हमीरपुर। | 31.3.08 | 11.9.08 |
| 36 | श्रीमति रेखा कुमारी पत्नी श्री ओंकार सिंह मकान न. 144, प्रथम तल, वार्ड न. 2, नजदीक उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। | मण्डलीय प्रबंधक, हि0प्र0 राज्य वन निगम, हमीरपुर। | 31.3.08 | 11.9.08 |
| 37 | इंजीनीयर सुखदेव कुटलेहरिया, व0 उप प्रधान, हि0प्र0 क0अभियंता संगठन कार्यालय सहायक अभियंता, विद्युत उपमण्डल हि0प्र0लो0नि0वि0, हमीरपुर। | संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, शिमला–9 | 31.3.08 | 16.10.08 |
| **जिला कांगड़ा** | | | | |
| 1 | श्री सतीश बस्सी, प्रधान हाउसिंग बोर्ड कालौनी कल्याण संगठन , 54, हाउसिंग बोर्ड कालौनी, कांगड़ा। | विधि अधिकारी, हिमुडा, शिमला–2 | 9.04.07 | 24.7.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | श्री राजेन्द्र कुमार, सुपुत्र स्व0 श्री राधाकृष्ण शर्मा, गांव व डा0 राजकोट, त0 बैजनाथ जिला कांगड़ा। | खण्ड विकास अधिकारी, पंचरूखी जिला कांगड़ा। | 8.6.07 | 25.7.07 |
| 3 | श्री अतुल भारद्वाज, आदर्श भवन श्यामनगर, धर्मशाला जिला कांगड़ा। | तहसीलदार धर्मशाला। | 18.6.07 | 1.8.07 |
| 4 | श्री अतुल भारद्वाज, आदर्श भवन श्यामनगर, धर्मशाला जिला कांगड़ा। | कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद धर्मशाला। | 18.6.07 | 1.8.07 |
| 5 | श्री अतुल भारद्वाज, आदर्श भवन श्यामनगर, धर्मशाला जिला कांगड़ा। | पुलिस अधिक्षक, कांगड़ा स्थित धर्मशाला। | 18.6.07 | 1.8.07 |
| 6 | श्रीमति अनुपमा सिन्हा, मकान न. 31, हाउसिंग बोर्ड कलौनी, बिन्द्राबन, पालमपुर। | नियंत्रक परीक्षा, हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला। | 28.7.07 | 18.9.07 |
| 7 | श्री जीवन कुमार शर्मा, न. 13892673 एन, सी.एम.डी–जी.डी. –1, डी. कम्पनी, 5121, ए.एस.सी, बी.एन एम टी मार्फत 56–एपीओ | सहायक बंदोबस्त अधिकारी धर्मशाला। | 31.7.07 | 5.9.07 |
| 8 | श्री अर्जुन देव सुपुत्र श्री बरतू राम गांव गडोरल, डा0 मेंझा, त0 पालमपुर जिला कांगड़ा। | अधिशासी अभियंता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, मण्डल पालमपुर जिला कांगड़ा। | 16.9.07 | 10.10.07 |
| 9. | श्री सुशील चंद सुपुत्र स्व0 श्री दिवान गीर गांव हबीबपुरा, नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा। | सचिव नगर पंचायत, नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा। | 22.10.07 | 15.11.07 |
| 10. | श्री चन्द्रमोहन गांव नारनाहूं डा0 परोल, त0 नुरपुर जिला कांगड़ा। | अवर सचिव, अधिनस्त सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर। | 18.9.07 | 16.1.08 |
| 11 | श्री शक्ति चंद सुपुत्र श्री उधोराम गांव व डा0 रजियाणा, त0 व जिला कांगड़ा। | सहायक आयुक्त, मण्डलायुक्त, धर्मशाला। | 13.11.07 | 12.12.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | डा0 सुनील कुमार, सैणी होम्यो क्लिनिक गुरूद्वारा के सामने, धर्मशाला। | अधिशासी अभियंता, सि0 एवं ज0स्व0 वि0, मण्डल कांगड़ा। | 17.12.07 | 24.1.08 |
| 13 | श्रीमति सुनंदा कायस्था पत्नी स्व0 श्री ए.एन. कायस्था 261/सी सिविल लाईन्स धर्मशाला। | संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, शिमला–1 | 5.1.08 | 20.6.08 |
| 14 | श्री पूरन चंद परबान, व0 मतस्य अधिकारी सेवानिवृत 1046/3, गीता भवन, होशियारपुर रोड कांगड़ा। | उप निदेशक मतस्य विभाग, बिलासपुर। | 5.2.08 | 20.6.08 |
| 15 | सुश्री मीरा देवी सुपुत्री स्व0 श्री शोभा राम, गांव आसनपत, डा0 लाहला, त0 पालमपुर जिला कांगड़ा। | परियोजना अधिकारी, डी.आर. डी.ए. कांगड़ा स्थित धर्मशाला। | 14.3.08 | 22.4.08 |
| 16 | श्री निक्का राम सुपुत्र श्री तेजो राम, गांव व डा0 रक्कड़ त0 धर्मशाला, जिला कांगड़ा | प्रधानाचार्य आर.पी.जी.एम. कॉलेज, टांडा, जिला कांगड़ा | 14.3.2008 | 21.4.08 |
| **जिला किन्नौर** | | | | |
| 1 | श्री आर.एस. नेगी नसंग निवास, नजदीक डी.आई.सी., रिकोंगपियो, जिला किन्नौर। | डपमण्डलाधिकारी, निचार किन्नौर।<br>उपमण्डलाधिकारी कल्पा किन्नौर। | 13.12.07 | 8.4.08 |
| **जिला मण्डी** | | | | |
| 1 | श्री एच.एस. ठाकुर, प्रधान, भ्यूली कालोनी निवासी संगठन, भ्यूली मण्डी। | अधिशासी अभियंता, हिमुडा मण्डल मण्डी। | 15.6.07 | 27.7.07 |
| 2–3 | श्री एच.एस. ठाकुर, प्रधान, भ्यूली कालोनी निवासी संगठन, भ्यूली मण्डी। | अधिशासी अभियंता, हिमुडा मण्डल मण्डी। | 18.6.07 | 27.7.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | श्री एच.एस. ठाकुर, प्रधान, भ्यूलि कालोनी निवासी संगठन, भ्यूलि मण्डी। | कार्यकारी अधिकारी, हिमुडा मण्डल मण्डी। | 18.6.07 | 27.7.07 |
| 5 | श्री लवण ठाकुर, सुपुत्र श्री एन. आर. ठाकुर, मकान न. 88/6, समखेतर, मण्डी। | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कुल्लु। | 28.9.07 | 20.12.08 |
| 6 | श्री सूदन सिंह, गांव चपलाह, डा0 टिल्ली, त0 सदर, जिला मण्डी। | अधिक्षण अभियंता, हि0प्र0 लो0नि0वि0, मण्डी। | 7.9.07 | 8.10.07 |
| 7 | श्री लवण ठाकुर, सुपुत्र श्री एन. आर. ठाकुर, मकान न. 88/6, समखेतर, मण्डी। | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कुल्लु। | 28.11.07 | 26.12.08 |
| 8 | श्री अतर सिंह पठानिया, गांव व डा0 टिल्ली, त0 सदर जिला मण्डी। | अधिक्षण अभियंता, हि0प्र0लो0नि0वि0 मण्डी। | 5.12.07 | 8.1.08 |
| 9 | श्री खेम चन्द, गांव डुगरियां, डा0 ब्रिखमणी, त0 सदर जिला मण्डी। | अधिक्षण अभियंता, हि0प्र0लो0नि0वि0 प्रथम वृत मण्डी। | 11.2.08 | 11.8.08 |
| 10 | श्री रामदास वकील, जिला न्यायालय, मण्डी। | महाप्रबंधक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला। | 18.2.08 | 27.2.08 |
| 11 | श्री दोमेश्वर कुमार सुपुत्र स्व0 श्री गोपीचंद, मार्फत आर.एस. गुलेरिया, मकान न. 51/12, रामनगर, मण्डी। | उप निदेशक पंचायती राज, एस.डी.ए. काम्पलेक्स, शिमला–9 | 22.2.08 | 14.3.08 |
| 12 | श्री निहाल सिंह सुपुत्र श्री परशोतम सिंह, गांव मन्याणा, डा0टिल्ली, त0 सदर जिला मण्डी। | उप मण्डलाधिकारी ना. मण्डी। | 5.3.08 | 26.3.08 |
| 13 | श्री राम दास वकील, जिला न्यायालय, मण्डी। | जन सूचना अधिकारी, हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला–3 | 10.3.08 | 5.4.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | श्री तारा चन्द सुपुत्र श्री बालिया, निवासी गांव मंडलोग, डा0 रंधारा, त0 सदर, जिला मण्डी। | अधिक्षण अभियंता, हि0प्र0लो0नि0वि0 प्रथम वृत मण्डी। | 25.3.08 | 23.4.08 |
| 15 | श्री तारा चन्द सुपुत्र श्री बालिया, निवासी गांव मंडलोग, डा0 रंधारा, त0 सदर, जिला मण्डी। | उप निरिक्षक पंचायत, खंड विकास कार्यालय बल्ह, त0 सदर, जिला मण्डी। | 25.3.08 | 23.4.08 |
| **जिला शिमला** | | | | |
| 1 | श्री नन्द लाल, डाईवर, हि0प्र0 खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला–4 | सहायक नियंत्रक, लेखा हि0प्र0 खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला–4 | 20.4.07 | 18.5.07. |
| 2 | श्री मोहन सिंह सुपुत्र श्री रघुनाथ सिंह, मार्फत मनोज तोमर, फलैट न. 828, ब्लाक न. 55, सेक्टर 4, न्यू शिमला। | अतिक्ति जिला दण्डाधिकारी, नाहन। | 24.4.07 | 18.5.07. |
| 3 | श्री राकेश कुमार सूद, सुपुत्र स्व0 श्री गरीब दास, धामी हाउस, राम बाजार, शिमला। | सहायक आयुक्त, नगर निगम शिमला। | 30.4.07 | 8.6.07 |
| 4 | श्री बाबू राम ठाकुर, अधिक्षक, हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, शिमला। | मुख्य लेखाधिकारी (वित एवं लेखा) हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, शिमला। | 7.5.07 | 30.5.07 |
| 5 | श्री हरी ओम ठाकुर, गांव व डा0 करटोट, त0 रामपुर बुशहर, जिला शिमला। | कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, रामपुर। | 4.6.07 | 23.7.07 |
| 6 | डा0 अनुपम नंदा सुपुत्र श्री पी. एल. नंदा, मार्फत श्री पी.डी. नंदा, प्रबंधक विपणन, एस.डी.ए. काम्पलेक्स, शिमला। | नियंत्रक परीक्षा हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला। | 4.6.07 | 26.9.07 |
| 7 | श्री कमल किशोर, सुपुत्र श्री रमेश चंद, मकान न. 48, गली न. 3, मिडल बाजार शिमला। | संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, शिमला। | 4.6.07 | 18.8.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | श्री ओम प्रकाश गोयल, सेंट एलबंस काटेज, शिमला–1 | विधि अधिकारी हि0प्र0 पर्यटन विकास निगम, रिटिज एनेक्सी शिमला–1 | 20.6.07 | 8.8.07 |
| 9 | श्री ओम प्रकाश गोयल, सेंट एलबंस काटेज, शिमला–1 | विधि अधिकारी हि0प्र0 पर्यटन विकास निगम, रिटिज एनेक्सी शिमला–1 | 20.6.07 | 8.8.07 |
| 10 | श्री जे.आर. आजाद, दुर्गा विला, नजदीक शिवालिक भवनख आर्मी रोड, संजौली, शिमला–6 | श्री चमन दिल्टा, उप सचिव (राजस्व) हि0प्र0 सरकार। | 4.7.07 | 3.8.07 |
| 11 | श्री आई.डी शर्मा, मार्फत फलेट न. 8, ब्लाक न. सी–16, विकासनगर, शिमला। | उप सचिव, हि0प्र0 लोक सेवा आयोग, शिमला–2 | 19.7.07 | 26.3.08 |
| 12 | श्रीमति शशि प्रभा पत्नी श्री के.सी. शर्मा, निवासी उत्तम भवन विकास नगर, शिमला–9 | संयुक्त सचिव, नगर निगम शिमला। | 23.7.07 | 27.9.07 |
| 13 | श्री नन्द लाल, डाईवर, हि0प्र0 खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला–4 | सहायक नियंत्रक (लेखा) हि0प्र0 खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला–4 | 23.7.07 | 6.9.07 |
| 14 | श्री प्रमोद चन्द, निवासी सेट न. 9, लोअर बाजार, शिमला। | अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला | 17.7.07 | 1.10.07 |
| 15 | श्री एस.डी. परिहार, ए.एल.आर. एवं अवर सचिव (विधि) हि0प्र0 सरकार। | श्री एल.आर. चौहान, अतिरिक्त सचिव (सचिवालय प्रशासन) हि0प्र0सरकार | 17.7.07 | 28.9.07 |
| 16 | श्री नवीन शर्मा, निर्मल काटेज, ढांडा, डा0 टुटू, शिमला–11 | उप महाधिवक्ता, कार्यालय महाधिवक्ता, शिमला। | 20.7.07 | 17.8.07 |
| 17 | डा0 अनुराधा शर्मा, महिन्द्रा अपार्टमेंट, नवबहार, शिमला–2 | संयुक्त सचिव, हि0प्र0 लोक सेवा आयोग, शिमला–2 | 28.7.07 | 8.10.07 |
| 18 | श्री रमेश कोंडल, सुपुत्र श्री निक्जु राम, कोंडल निवास, विकास नगर, शिमला। | संयुक्त सचिव, हि0प्र0 लोक सेवा आयोग, शिमला–2 | 28.7.07 | 21.8.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | श्री रमेश कोंडल, सुपुत्र श्री निक्जु राम, कोंडल निवास, विकास नगर, शिमला | संयुक्त सचिव, हि0प्र0 लोक सेवा आयोग, शिमला–2 | 28.7.07 | 7.8.07 |
| 20 | श्री रमेश कोंडल, सुपुत्र श्री निक्जु राम, कोंडल निवास, विकास नगर, शिमला | संयुक्त सचिव, हि0प्र0 लोक सेवा आयोग, शिमला–2 | 28.7.07 | 4.10.07 |
| 21 | श्री ओम प्रकाश गोयल, सेंट एलबंस काटेज, नजदीक रा0व0उ0मा0 स्कूल, शिमला–1 | उप महालेखाधिकारी (प्रशासनिक), हि0प्र0 शिमला–3 | 5.6.07 | 5.9.07 |
| 22 | श्रीमति बिमला देवी सेवनिवृत मुख्य अध्यापक, मार्फत श्री जयलाल चौहान, बुटैल धर्मशाला, ढली, शिमला–12 | उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, शिमला। | 2.7.07 | 5.9.07 |
| 23 | श्री मुनीश शर्मा महिन्द्रा अपार्टमेंट, नवबहार, शिमला–2 | संयुक्त सचिव, हि0प्र0 लोक सेवा आयोग, शिमला–2 | 9.8.07 | 19.9.07 |
| 24 | श्री मुनीश शर्मा महिन्द्रा अपार्टमेंट, नवबहार, शिमला–2 | अतिरिक्त सचिव (स्वास्थ्य) हि0 प्र0 सरकार | 9.8.07 | 8.10.07 |
| 25 | श्री नोन सिंह नेगी, अधिक्षक ग्रेड–1, कार्यालय प्रधान मुख्य अरण्यपाल, टालेंड, शिमला | अरण्यपाल, टालेड, शिमला | 25.8.07 | 29.9.07 |
| 26 | श्री पी.जी. राजु, मकान न. 6ए, सन व्यू, जी.एफ, मस्जिद के पीछे छोटा शिमला | उप सचिव, कार्मिक विभाग, नियुक्ति–2, हि0प्र0 सचिवालय | 25.8.07 | 18.9.07 |
| 27 | श्री नन्द लाल, डाईवर, हि0प्र0 खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला–4 | जन सूचना अधिकारी हि0प्र0 खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला–4 | 20.8.07 | 6.9.07 |
| 28 | सुश्री कृष्णा ठाकुर, फ्राश रिकार्ड सेक्शन, हि0प्र0 सचिवालय। | विशेष सचिव (सचिवालय प्रशासन) हि0प्र0 सरकार। | 15.9.07 | 3.11.07 |
| 29 | श्री के.एस. चौहान ब्लाक न. 15/247,सेक्टर 2, लेन 4, न्यू शिमला | संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, शिमला–1 | 15.9.07 | 9.10.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | श्री छतरपाल शर्मा एवं तारा शर्मा, गांव सधोरा डा0 बल्देयां, त0 व जिला शिमला | राज्य नगर योजनाकार, नगर शिमला–9 | 10.10.07 | 5.11.07 |
| 31 | श्री पी.जी राजू, मकान न. 6ए, सन व्यू जी.एफ. मस्जिद के पीछे, छोटा शिमला | सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हि0 प्र0 | 19.9.07 | 24.10.07 |
| 32 | श्री रमेश कोंडल, सुपुत्र श्री निक्जु राम, कोंडल निवास, विकास नगर, शिमला। | संयुक्त सचिव, हि0प्र0 लोक सेवा आयोग, शिमला–2 | 19.9.07 | 8.10.07 |
| 33 | श्री विनोद लखनपाल, प्रोस्पेक्ट हिल, कामना देवी मन्दिर, बालुगंज, शिमला। | सहायक आयुक्त, नगर निगम, शिमला। | 20.9.07 | 11.10.07 |
| 34 | श्री विवेक वशिष्ट, नजदीक रा0 उ0 मा0 स्कूल, टुटू, शिमला। | अतिरिक्त सचिव (सचिवालय प्रशासन) हि0 प्र0 सरकार। | 15.10.07 | 27.10.07 |
| 35 | श्री राम स्वरूप हंस, अनुभाग अधिकारी, परीक्षा–2, हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला। | पंजीयक, हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला। | 9.10.07 | 3.12.07 |
| 36 | श्री तुलसी राम, कमरा न. 216, आर्मसडेल भवन, हि0प्र0 सचिवालय। | प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला–1 | 10.10.07 | 19.11.07 |
| 37 | श्री मनोज कुमार बंसल, प्रशासनिक अधिकारी एच.पी.एस. हि0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला | जन सूचना अधिकारी (न्यायिक), हि0 प्र0 उच्च न्यायालय, शिमला। | 22.10.07 | 16.1.08 |
| 38 | श्री रूप सिंह ठाकुर, सुपुत्र श्री जय राम, निवासी मकान न. 35, स्टेशन व्यू, चक्कर, शिमला–5 | सहायक आयुक्त, नगर निगम शिमला। | 24.10.07 | 12.12.07 |
| 39 | सुश्री नलिनी बाली, व0 सहायक, एच.पी.जी.आई.सी., हिमरस बिल्डिंग, शिमला–1 | व0महा प्रबंधक (कार्मिक) जी. आई.सी., शिमला। | 24.10.07 | 20.11.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | श्री नन्द लाल, डाईवर, हि0प्र0 खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला–4 | सहायक नियंत्रक (लेखा) हि0प्र0 खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला–4 | 1.12.07 | 31.12.07 |
| 41 | श्री भास्करा नंद, गांव नरार, डा0 करयाली, त0 सुन्नी, जिला शिमला। | प्रधानाचार्य, रा0 व0 मा0 स्कूल, करयाली, जिला शिमला। | 6.12.07 | 27.2.08 |
| 42 | श्री डी. आर. चन्देल, गांव व डा0 सीमा, त0 रोहडू जिला शिमला। | संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, लालपानी शिमला–1 | 6.12.07 | 15.7.08 |
| 43 | श्री सुभाष चंद पठानिया, सुपुत्र श्री चैन सिंह, मोहर निवास खलीणी, शिमला | उप निदेशक, श्रम एवं रोजगार विभाग, शिमला–1 | 7.1.08 | 26.5.08 |
| 44 | श्री मोती राम मधानिया, निरिक्षक (सी.एण्ड एस.टी.) विधि अनुदेशक, पुलिस टेनिंग कालेज, दरोह, जिला कांगड़ा। | पुलिस अर्धीक्षक (सी.एण्ड एस. टी.) हि0प्र0 शिमला। | 28.11.07 | 14.3.08 |
| 45 | श्री मोती राम मधानिया, निरिक्षक सी.एण्ड एस.टी. विधि अनुदेशक, पुलिस टेनिंग कालेज, दरोह, जिला कांगड़ा। | पुलिस अर्धीक्षक (सी.एण्ड एस. टी.) हि0प्र0 शिमला। | 29.11.07 | 14.3.08 |
| 46 | श्री अमर सिंह वर्मा, प्रधान सरकारी कर्मचारी निवासी सोसाइटी, मेहली, शिमला–9 | अधीक्षण अभियंता, हि0प्र0 लो0नि0वि0, शिमला–1 | 22.12.07 | 22.12.07 |
| 47 | श्री ओम प्रकाश गोयल, सेंट एलबंस काटेज, नजदीक रा0व0उ0मा0 स्कूल, शिमला–1 | विधि अधिकारी, हि0प्र0 पर्यटन विकास निगम, शिमला–1 | 28.1.08 | 28.7.08 |
| 48 | श्री ओम प्रकाश गोयल, सेंट एलबंस काटेज, नजदीक रा0व0उ0मा0 स्कूल, शिमला–1 | विशेष सचिव (पर्यटन) हि0 प्र0 सरकार। | 28.1.08 | 23.6.08 |
| 49 | श्री ओम प्रकाश गोयल, सेंट एलबंस काटेज, नजदीक रा0व0उ0मा0 स्कूल, शिमला–1 | विशेष सचिव (पर्यटन) हि0 प्र0 सरकार। | 28.1.08 | 23.6.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | श्री रणजीत सिंह कंवर, सेट न. 3, सिसिल बेंड क्वार्टर, चौड़ा मैदान, शिमला–4 | संयुक्त आयुक्त, नगर निगम शिमला। | 26.2.08 | 24.3.08 |
| 51 | श्री बी.आर. शर्मा, तारा भवन, शर्मा निवास, मल्याणा, त0 एवं जिला शिमला। | प्रधानाचार्य, रा0 व0 मा0 स्कूल, करयाली, त0 सुनी जिला शिमला। | 22.2.08 | 5.5.08 |
| 52 | श्री विवेक ज्योति, वशिष्ट निवास, नजदीक रा0 उ0 मा0 स्कूल, टुटू, शिमला। | विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन, हि0 प्र0 सरकार। | 5.3.08 | 4.8.08 |
| 53 | श्री विनोद कुमार गुलेरिया, हि0 प्र0 विश्व विद्यालय, शिमला–5 | पंजीयक, हि0 प्र0 विश्व विद्यालय, शिमला–5 | 24.3.08 | 11.9.08 |
| **जिला सिरमौर** | | | | |
| 1–5 | डा0 वी. के. राठी, कृषि विश्वविद्यालय, धौलाकुआं। | सह निदेशक (आर एवं ई) एच. ए.आर.ई.सी., धौलाकुआं। | 11.6.07 | 26.7.07 |
| 6 | सुश्री सीमा, आइ.आइ.टी. इन्जीनियरिंग कालेज, कालाआम्ब, जिला सिरमौर। | पंजीयक, हि0 प्र0 विश्व विद्यालय, शिमला–5 | 18.6.07 | 30.7.07 |
| 7 | प्रधान संजीवनी जन कल्याण सेवा समिति, ददाहू, जिला सिरमौर। | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन। | 7.9.07 | 23.10.07 |
| 8 | सुश्री निशा शर्मा संयुक्त सचिव सार्थक एन.जी.ओ. गांव व डा0 अम्बोया त0 पांवटा साहिब जिला सिरमौर। | अधिशासी अभियंता, हि0प्र0 लो0 नि0 वि0 शिलाई मण्डल, जिला सिरमौर। | 19.11.07 | 3.12.07 |
| 9 | श्री सुबोध अभि, जन एकता समिति बातामण्डी, पांवटा साहिब जिला सिरमौर। | प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, हि0प्र0 राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, शिमला | 7.2.08 | 16.6.08 |
| 10 | श्री सुबोध अभि, जन एकता समिति बातामण्डी, पांवटा साहिब जिला सिरमौर। | राज्य नगर योजनाकार, योजना विभाग शिमला–9 | 15.2.08 | 16.6.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **जिला सोलन** | | | | |
| 1 | श्री ब्रहमा नंद शर्मा, सुबाथु रोड, नजदीक तार फक्टरी, सपरून सोलन। | कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सोलन। | 19.5.07 | 5.6.07 |
| 2 | श्री जी.आर. भारद्वाज, प्रधान ग्राम पंचायत सायरी, जिला सोलन। | प्रधानाचार्य, डाइट, सोलन | 21.7.07 | 17.8.07 |
| 3 | श्री रजीव धवन, गांव व डा0 सायरी वाया कुनिहार, त0 कण्डाघाट, जिला सोलन। | उप निरिक्षक पंचायत खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन। | 12.10.07 | 14.11.07 |
| 4 | श्री रोशन लाल सुपुत्र श्री रूप राम, गांव व डा0 पलानिया त0 अर्की जिला सोलन | अवर सचिव हि0प्र0 अधीनस्त सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर | 29.11.07 | 16.1.08 |
| 5 | श्री आर.एस. चौधरी, अधीक्षण अभियंता, बी.बी.एन.डी.ए. बदी, जिला सोलन। | अवर सचिव (लोक निर्माण) हिमाचल प्रदेश सरकार। | 7.2.08 | 28.2.08 |
| 6 | सुश्री बबीता ठाकुर, बघाल निवास, सपरून, सुबाथु रोड, सोलन। | अवर सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार। | 3.3.08 | 7.4.08 |
| 7 | श्री कली राम सवीता, व0 सहायक, कार्यालय निदेशक दूरगामी शिक्षा, यू.एच.एफ. नौणी, जिला सोलन। | सहायक पंजीयक (सथा.1), बागवानी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन। | 12.3.08 | 11.4.08 |
| **जिला उना** | | | | |
| 1 | श्रीमति स्वदेश हांडा पत्नी स्व0 श्री चमन लाल हांडा, उना(हि0प्र0) | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डी। | 2.4.07 | 23.4.07 |
| 2 | श्री एम.के. बस्सी वकील, मार्फत होटल सुविधा पेलेस, उना। | महा प्रबंधक प्रशासन, कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला कांगड़ा। | 6.8.07 | 16.8.07 |
| 3 | श्री एम.एम. सिंह, मकान न, एच. आई.जी. 296, हाउसिंग बोर्ड कलौनी, रक्कड़ जिला उना। | व0 विधि अधिकारी हिमुडा, शिमला–2 | 19.9.07 | 11.10.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | श्री राहुल कोहली, 58, चंद्रलोक सहकारी निवास सोसाइटी वार्ड न. 4, उना। | सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं, उना। | 18.9.07 | 10.10.07 |
| 5 | श्री एम.के. बस्सी वकील, मार्फत होटल सुविधा पेलेस, उना। | उप निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उडडयन विभाग, कसुमटी शिमला–9 | 14.3.08 | 9.4.08 |
| **राज्य के बाहर से** | | | | |
| 1 | श्री यशपाल, सुपुत्र स्व0 श्री जय दयाल, 261/4, सदर बाजार छोटी लाइन, यमुनानगर, हरियाणा। | पुलिस अधिक्षक नाहन जिला सिरमौर। | 15.3.08 | 16.6.08 |
| 2 | इंजीनीयर एम.एल. लायल, 58, अग्रसैन नगर, अम्बाला कैंट। | सहायक बंदोबस्त अधिकारी, शिमला। | 7.1.08 | 9.9.08 |
| 3 | श्री राजेश कुमार शर्मा, 161–ए, गली मस्जिद तेवर खान, नया बांस, दिल्ली–6 | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मण्डी। | 17.04.07 | 7.5.07 |
| 4 | श्री रणजीत सिंह राणा, ए–2, सेक्टर 31, नोयडा, यू.पी. | अधिशासी अभियंता, हिमुडा, शिमला–9 | 5.6.07 | 24.7.07 |
| 5 | श्री घनश्याम सूरी, मकान न. 774, सेक्टर 4, पंचकुला, हरियाणा। | संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शिमला–1 | 20.9.07 | 20.11.07 |
| 6 | श्री वी.सी. सूद, 447, सेक्टर 7, पंचकुला, हरियाणा। | अविरिक्त सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार। | 5.2.08 | 5.5.08 |

परिशिष्ट "ग"

## 1.4.2007 से 31.3.2008 तक राज्य सूचना आयोग में प्राप्त शिकायतों की अद्यतन स्थिति

| क्रम संख्या | शिकायतकर्ता का नाम व पता | जन सूचना अधिकारी/प्रतिवादी का नाम व पता | संस्थापन की तिथि | आयोग के आदेशों की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री वी0आर0 धीमान, उप पंजीयक, हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर | श्री एस0पी0चौधरी, जन सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक, हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर | 1.2.2007 | 24.4.07 |
| 2 | श्री सुरेन्द्र पाल मनहास, गांव व डाकघर सौनगनई वरास्ता घनेरी, तहसील अम्ब जिला उना । | जन सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग) हि0 प्र0 सचिवालय | 23.2.2007 | 19.4.07 |
| 3 | श्री सुभाष चन्द्र त्यागी, सहायक अभियन्ता (सेवार्निवृत) त्यागी निवास, गांव व डाकघर पंचरूखी पालमपुर । | सहायक बन्दोबस्त अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी, कांगडा स्थित धर्मशाला । | 7.2.2007 | 19.5.07 |
| 4 | श्री ओंकार सिंह, मकान न0 53, बार्ड न0 3, प्रताप नगर, हमीरपुर । | जन सूचना अधिकारी एवं प्रबन्धक (प्रशासनिक), हि0प्र0 राज्य वन निगम, एस0डी0ए0 काम्पलेक्स, कसुम्पटी । | 13.3.2007 | 10.5.2007 |
| 5 | श्री बलराज मल्हौत्रा, मकान न0 79/1, बार्ड न0 6, नजदीक यु0वि0आई0, पांवटा साहिब सिरमौर। | जन सूचना अधिकारी एवं उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) सिरमौर स्थित नाहन । | 13.3.2007 | 7.6.2007 |
| | **जिला विलासपुर** | | | |
| 1 | श्री बीसन दास पुण्डीर, गांव मरेहा, डाकघर जन्जावीन, झन्डूता, बिलासपुर | खण्ड विकास अधिकारी, बिलासपुर | 25.4.07 | 17.5.07. |
| 2 | श्री खजाना राम शर्मा, निवासी गांव रोपा, डाकघर भागर, तहसील घुमारवीं | कार्याकारी अभियन्ता, घुमारवीं | 31.8.07 | 28.4.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | श्री परस राम परमार, प्रेसीडेंट जिला इंटक, बिलासपुर, गांव एवं डाकघर तनवोल, जिला बिलासपुर । | अधिक्षण अभियन्ता, हि0प्र0 लो0नि0वि0, बिलासपुर । | 15.9.07 | 15.12.07 |
| 4 | श्री परस राम, गांव एवं डाकघर तनवोल, जिला बिलासपुर, हि0प्र0। | अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, खण्ड.2 बिलासपुर | 15.10.07 | 15.12.07 |
| 5 | श्री वी0के0 गौतम, वरिष्ठ नागरिक, स्वारघाट । | संयुक्त निदेशक, ( प्रारम्भिक शिक्षा) | 24.10.07 | 20.11.07 |
| 6 | श्री आरचीत संत, संत निवास गांव एवं डाकघर चांदपुर तहसील, सदर, बिलासपुर । | जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर । | 17.12.07 | 7.2.08 |
| | **जिला चबां** | | | |
| 1 | श्री जगदीश सपुत्र श्री मचलू, गांव भद्रवारा, डाकघर मलूण्डा, तहसील भटीयात, चंबा । | अरण्यपाल वन मण्डल, चंबा । | 4.4.07 | 16.8.07 |
| 2 | श्री मति उषा देवी पत्नी श्री रणजीत सिंह, गांव सलोडका,डाकघर बकलोह, तहसील भटियात, जिला चंबा । | वाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला चंबा । | 13.11.07 | 8.1.08 |
| | **जिला हमीरपुर** | | | |
| 1 | श्री तानसेन क्यास्था, मोहला डान्गु, बार्ड न0 9, गांव एवं डाकघर सुजानपुर टिरा, जिला हमीरपुर । | जन सूचना अधिकारी, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, लाल पानी, शिमला | 25.4.07 | 10.5.07 |
| 2 | प्रधान ग्रम सुधार सभा, लठवाना, डाकघर लदरौर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर । | अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, बडसर । | 3.5.07 | 7.6.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | श्री रवीन्दर कुमार सपुत्र श्री अमर सिंह, गांव मोरसू दत्तयाला, डाकघर भोटा, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर हि0 प्र0 । | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर । | 15.9.07 | 6.10.07 |
| 4 | श्री आई0 डी0 शर्मा, मकान न0 एम0आई0जी0.139, हि0प्र0 हाउसिंग बोर्ड क्लोनी, हमीरपुर, हि0 प्र0 । | सयुक्त सचिव, हि0 प्र0 लोक सेवा आयोग, शिमला. 171002 । | 15.9.07 | 11.9.08 |
| 5 | श्री मति सीतो देवी पत्नी श्री अमर सिंह, गांव मोरसू दत्तयाला, डाकघर भोटा, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर हि0 प्र0 । | उप निरिक्षक (पंचायत), खण्ड बिजरी । | 17.9.07 | 10.10.07 |
| 6 | श्री पंकज कुमार सपुत्र श्री किशोर चन्द, गांव झटवार, डाकघर दुगला, वरास्ता लम्बलू, तहसील एवं जिला हमीरपुर हि0 प्र0 । | मुख्याध्यापक, राजकीय उच्च पाठशाला, दुगली । | 15.1.08 | 18.2.08 |
| 7 | श्री लश्करी राम, सपुत्र श्री लछमन, गांव लजयानी, डाकघर नगरोटा, तहसील भौरजं, जिला हमीरपुर । | अधिशासी अभियन्ता, हि0 प्र0 लो0नि0वि0, बडसर । | 17.1.08 | 19.2.08 |
| 8 | श्री कमल देव परमार, गणित प्रवक्ता, राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला, दरवीयर, डाकघर हिम्मर, जिला हमीरपुर । | जन सूचना अधिकारी, कार्यालय निदेशक उच्च शिक्षा, हमीरपुर हि0 प्र0 । | 2.2.08 | 25.3.08 |
| 9 | श्री कुलदीप सिंह दत्तवालिया, सपुत्र श्री दीना नाथ गांव अम्वोटा, डाकघर घनगोट, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर । | सयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा) शिमला .1 | 5.3.08 | 4.4.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **जिला कांगडा** | | | |
| 1 | श्री अभिषेक डोहरू सपुत्र श्री आर0 के0 डोहरू, गांव आईमा,डाकघर पालमपुर, जिला कांगडा । | महाप्रबन्धक, हि0प्र0 राज्य सहकारी बैकं, दी माल शिमला | 7.4.07 | 25.4.07 |
| 2 | श्री परमेश्वरी दास सपुत्र श्री मस्त राम, गांव जखूनी, डाकघर वर कुठेरा, तहसील जसवां, कांगडा । | उप भू अरण्य खण्ड अधिकारी, देहरा गोपीपुर | 16.4.07 | 8.5.07 |
| 3 | श्री अशोक कुमार महाजन, गांव व डाकघर परौर, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा । | निदेशक (आर्युवेदा), वी–26, कसुम्पटी, शिमला । | 1.5.07 | 6.6.07 |
| 4 | डा0 एस0एस0 नेगी, ए0आर0एस0, सांईटिस्ट (ईमेरीटस)शैला काटेज, मिशन रोड, पालमपुर । | कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, पालमपुर, कांगडा । | 9.5.07 | 4.6.07 |
| 5 | श्री करतार चन्द सपुत्र श्री नानक चन्द, गांव लूधियर, डाकघर दरकोटी, तहसील जवाली, जिला कांगडा । | उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कांगडा स्थित धर्मशाला । | 28.5.07 | 13.6.07 |
| 6 | श्री मनोहर लाल शर्मा, सपुत्र श्री राजु राम शर्मा गांव व डाकघर नगरोटा सुरयां, तहसील जवाली, जिला कांगडा । | संयुक्त सचिव, हि0 प्र0 बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, धर्मशाला | 4.6.07 | 1.8.07 |
| 7 | श्री करतार सांडिल, टी0वी0 न्यूज/काईम रिपार्टर, फतेहपुर, जिला कांगडा । | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, ईन्दौरा, जिला कांगडा । | 20.8.07 | 18.9.07 |
| 8 | श्रीमति प्रतिभा कौशल पत्नी श्री देवेन्द्र कौशल, गांव वरोल, दारी, तहसील धर्मशाला जिला कांगडा, हि0 प्र0 । | अधिशासी अभियन्ता, हि0 प्र0 लो0नि0वि0, धर्मशाला | 3.9.07 | 5.12.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | श्रीमति राजवाला पत्नी श्री श्रीनिवास, गांव व डाकघर वटू समूला, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा हि0 प्र0 । | संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)(सी0 1), निदेशालय उच्च शिक्षा, लालपानी, शिमला–171001 | 25.9.07 | 8.10.07 |
| 10 | श्री कश्मीर सिंह वडीयालिया, गांव व पंचायत संचार केन्द्र अपर भलभाल, तहसील देहरा जिला कांगडा हि0 प्र0 । | अतिरिक्त सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य )हि0 प्र0 सरकार | 29.10.07 | 31.12.08 |
| 11 | श्री कश्मीर सिंह वडीयालिया, गांव व पंचायत संचार केन्द्र अपर भलभाल, तहसील देहरा जिला कांगडा हि0 प्र0 । | 1. उप सचिव (राजस्व) हि0 प्र0 सरकार ।<br>2. उप मण्डलाधिकारी (ना0), देहरा ।<br>3. तहसीलदार, देहरा, कांगडा ।<br>4. सचिव, पंचायत<br>5. उप निरिक्षक ( पंचायत ) | 6.12.07 | 12.5.08 |
| 12 | श्री संजय गुप्ता सपुत्र श्री कुन्दन लाल, गांव व डाकघर अपर लम्बागांव, जिला कांगडा हि0 प्र0 । | उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) धर्मशाला, जिला कांगडा । | 6.12.07 | 12.5.08 |
| 13 | श्री आत्मा राम, गांव व डाकघर मरहुन, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा हि0 प्र0 । | खनन अधिकारी, धर्मशाला, कांगडा । | 4.1.08 | 20.6.08 |
| 14 | श्री रजनीश कौशल सपुत्र श्री ओमप्रकाश कौशल, निवासी गांव कोपरा, डाकघर चकोठ, तहसील जवालामुखी, जिला कांगडा हि0 प्र0 । | संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा), लालपानी, शिमला–1 | 2.1.08 | 6.2.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | रोजी गुप्ता मार्फत श्री सुशील कुमार सुद, बार्ड न0 4, नगरोटा वगवां, जिला कांगडा हि0 प्र0 । | प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला, सुनेही, तहसील वरोह, जिला कांगडा हि0 प्र0 । | 26.12.07 | 28.3.08 |
| 16 | डा0 नानक चन्द शर्मा, गणित प्रवक्ता, एम0सी0एम0, डी0ए0वी0 कालेज, कांगडा हि0 प्र0 | कार्यवाहक प्रधानाचार्य, एम0सी0एम0, डी0ए0वी0 कालेज, कांगडा हि0 प्र0 | 18.2.08 | 16.7.08 |
| 17 | श्रीमति राजवाला पत्नी श्री श्रीनिवास, गांव व डाकघर वटू समूला, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा हि0 प्र0 । | प्रधानाचार्य, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, कुंगश, जिला कुल्लू । | 18.2.08 | 22.4.08 |
| 18 | श्री फौजा सिंह सपुत्र श्री रनजीत सिंह, गांव व डाकघर जनदोर,तहसील जसवां कोटला , जिला कांगडा हि0 प्र0 । | उप निरिक्षक (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, परागपुर, जिला कांगडा । | 28.2.08 | 26.3.08 |
| 19 | श्री परवेश नाथ मैसर्ज जगन नाथ धिमन एण्ड ब्रदर्स कान्ट्रेक्टर, सिविल स्टेशन, धर्मशाला, जिला कांगडा हि0 प्र0 । | अधिशाषी अभियन्ता, कल्पा डिविजन हि0 प्र0 लो0नि0 वि0, कल्पा, जिला किन्नौर । | 15.3.08 | 22.4.08 |
| 20 | श्री तिलक राज सपुत्र श्री पुरषोतम दास, गांव छावर, डाकघर हरिपुर, तहसील देहरा, जिला कांगडा हि0 प्र0 । | जिला पंचायत अधिकारी, कांगडा हि0 प्र0 । | 13.3.08 | 8.4.08 |
| 20 | श्री मनोज कुमार सपुत्र श्री धर्म चन्द, गांव व डाकघर नन्देहर, तहसील व जिला कांगडा हि0 प्र0 । | वाल विकास परियोजना अधिकारी, कांगडा । | 25.3.08 | 22.4.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **जिला कुल्लू** | | | |
| 1 | श्री वीरेन्द्र ठाकुर सपुत्र स्वर्गीय श्री डी0 आर0 ठाकुर, गांव टील डाकघर वचूत, तहसील व जिला कूल्लू हि0 प्र0 । | संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा), शिमला. 1 | 25.5.07 | 19.9.07 |
| 2 | श्री टी0 डी0 ठाकुर (सेवानिवृत) लेखा अधिकारी, मकान न0 70, ठाकुर लॉज, सुल्तानपुर, जिला कूल्लू हि0 प्र0 । | उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), कूल्लू हि0 प्र0 । | 4.6.07 | 26.9.07 |
| 3 | श्री यादवेन्दर सिंह, लारेन बार्ड न0 7 कूल्लू हि0 प्र0 । | अतिरिक्त उप आयुक्त, कुल्लू । | 22.9.07 | 21.4.08 |
| 4 | श्री वेला राम ठाकुर, नजदीक मुख्य डाकघर, डालपुर, कूल्लू हि0 प्र0 | उप निदेशक, हि0प्र0 शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला | 6.11.07 | 4.12.07 |
| 5 | श्री विनोद कुमार, गांव व डाकघर सरवी, तहसील नीरमण्ड, जिला कूल्लू हि0 प्र0 । | मुख्याध्यापक, राजकीय उच्च पाठशाला, सरवी, जिला कूल्लू | 6.12.07 | 27.2.08 |
| 6 | श्री तेज सिंह सपुत्र श्री डी0 आर0 ठाकुर, गांव टील, डाकघर वचूत,तहसील बन्जार,, जिला कूल्लू हि0 प्र0 । | संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा), शिमला 1 | 20.2.08 | 1.8.08 |
| | **जिला मण्डी** | | | |
| 1 | श्री निहाल सिंह सपुत्र श्री पुरषेतम सिहं गांव मन्याणा, डाकघर टिल्ली (कैहनवाल) सदर मण्डी हि0 प्र0 । | उप मण्डलाधिकारी (ना0) सदर, मण्डी | 12.4.07 | 5.6.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | श्री रमेश चन्द धीमान, प्रेजीडेंट हि0 प्र0 स्माल स्केल फर्नीचर यूनियन मण्डी हि0 प्र0 । | वरिष्ठ महाप्रबन्धक (पी0 एण्ड ए0) जी0 आई0 सी0, शिमला – 1 | 1.4.07 | 21.5.07 |
| 3 | श्री निहाल सिंह सपुत्र श्री पुरषेतम सिहं गांव मन्याणा, डाकघर टिल्ली (कैहनवाल) सदर मण्डी हि0 प्र0 । | तहसीलदार मण्डी | 10.4.07 | 5.6.07 |
| 4 | श्री देव कान्त (गायक) सपुत्र श्री तुलसी राम, पुर्व विधायक, निवासी लोअर भीयूली, जिला मण्डी हि0 प्र0 । | उपायुक्त, मण्डी | 28.5.07 | 27.7.07 |
| 5 | श्री दया राम सपुत्र श्री लछमन सिंह, गांव छैला, डाकघर सवारी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी हि0 प्र0 । | उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, मण्डी | 3.9.07 | 19.9.07 |
| 6 | मुक्ता वैद्या, रामेश्वर निवास, मकान न0 421/3, जेल रोड, मण्डी जिला मण्डी हि0 प्र0 । | प्रधानाचार्य, वल्लभ डिग्री कालेज, मण्डी, जिला मण्डी | 18.9.07 | 10.10.07 |
| 7 | श्री गोकुल चन्द सपुत्र श्री रघुराम गांव चडयारा डाकघर गुटकर, जिला मण्डी हि0 प्र0 । | पुलिस अधिक्षक, मण्डी | 5.10.07 | 29.10.07 |
| 8 | जैवन्ती सपुत्री श्री नन्त राम, गांव कांडी, डाकघर विहानी, तैहसील थुनाग, जिला मण्डी । | प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, छतरी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी | 24.10.07 | 1.12.07 |
| 9 | श्री राम दास, अधिवक्ता, जिला न्यायलय, मण्डी जिला मण्डी । | जिला पंचायत अधिकारी, जिला मण्डी | 14.11.07 | 30.11.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | श्री निहाल सिंह सपुत्र श्री पुरसौतम सिंह, गांव मन्याणा, डाकघर टिल्ली (कैहनवाल), सदर, मण्डी | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, मण्डी । | 7.2.08 | 10.7.08 |
| 11 | श्री टी0सी0 शर्मा, अधिवक्ता, जिला न्यायालय, मण्डी | उप निदेशक (प्रा0 शिक्षा), मण्डी । | 25.2.08 | 2.4.08 |
| 12 | श्री राम दास, अधिवक्ता, जिला न्यायलय, मण्डी जिला मण्डी । | जन सूचना अधिकारी एवं उप मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 । | 24.3.08 | 21.5.08 |
| | **जिला शिमला** | | | |
| 1 | श्री नरेश कुमार शर्मा, कपिल निवास नजदीक कुरेषहर, चुरात रोड, भटटा कुफर, शिमला । | उप निरिक्षक(पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, चम्बा । | 3.5.07 | 28.5.07 |
| 2 | श्री शिव राम ठाकुर, गांव बढई, डाकघर तारादेवी, तहसील एवं जिला शिमला । | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, शिमला । | 8.6.07 | 1.8.07 |
| 3 | श्री मति अर्चना ठाकुर, गांव व डाकघर कमला नगर, वरास्ता संजौली, जिला शिमला । | सहायक बन्दोवस्त अधिकारी, शिमला .9 | 7.8.07 | 20.8.07 |
| 4 | श्रीमति पुष्पा ठाकुर, गांव व डाकघर कमला नगर, वरास्ता संजौली, जिला शिमला । | सहायक बन्दोवस्त अधिकारी, शिमला .9 | 7.8.07 | 20.8.07 |
| 5 | रिना मैहता, सपुत्री राजेन्द्र सिंह, निवासी गांव जिना, डाकघर चाम्बी,तहसील चौपाल,, जिला शिमला । | प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, नाहर, तहसील चौपाल, जिला शिमला .9 | 4.10.07 | 27.10.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | श्री सुख राम शर्मा सपुत्र स्वर्गीय श्री मस्त राम शर्मा निवासी तारा भवन, लोअर देवनगर, डाकघर कसुम्पटी, जिला शिमला । | संयुक्त निदेशक, शहरी विकास, पालिका भवन जिला शिमला .2 | 15.9.07 | 24.10.07 |
| 7 | डा0 सिकन्दर कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, हि0प्र0 विश्वविद्यालय, जिला शिमला । | पंजीयक हि0 प्र0 विश्वविद्यालय जिला शिमला | 12.10.07 | 13.11.07 |
| 8 | प्रोफेसर सुनिल गुप्ता, वाणिज्य विभाग, हि0प्र0 विश्वविद्यालय, जिला शिमला । | पंजीयक हि0 प्र0 विश्वविद्यालय जिला शिमला | 12.10.07 | 13.11.07 |
| 9 | श्री पुरन चन्द, सपुत्र श्री विधि चन्द, गांव व डाकघर सतलाई, वरास्ता ढली, जिला शिमला । | अरण्यपाल, वन विभाग शिमला, जिला शिमला | 27.10.07 | 3.11.07 |
| 10 | उरवशी लारजू, गांव व डाकघर बोंडा (सराहन), तहसील रामपुर, जिला शिमला । | प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, डलगांव, जिला शिमला । | 29.10.07 | 29.11.07 |
| 11 | श्री लीलाधर वतसययान, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, क्यारटू, तहसील ठियोग, जिला शिमला । | प्रधानाचार्य, संस्कृत महाविद्यालय, सुन्दरनगर । | 30.10.07 | 30.11.07 |
| 12 | श्री लीलाधर वतसययान, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, क्यारटू, तहसील ठियोग, जिला शिमला । | संयुक्त निदेशक, निदेशालय उच्च शिक्षा, शिमला । | 29.10.07 | 30.11.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | श्री हरी नन्द, निवासी गांव फयाल, डाकघर धारी, वरास्ता सौघी, तहसील एवं जिला शिमला । | अधिक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, यु0एस0 क्लव शिमला । | 8.10.07 | 4.12.07 |
| 14 | श्री राजीव पथरिया, वरिष्ठ विषेश पत्रकार, पंजाब केसरी, ब्यौरो, शिमला, जिला शिमला । | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कूल्लु । | 14.11.07 | 22.12.07 |
| 15 | प्रधान, स्ट्रावरी हिल्स, शिमला, जिला शिमला । | संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, शिमला । | 17.11.07 | 16.1.08 |
| 16 | प्रधान, स्ट्रावरी हिल्स, शिमला, जिला शिमला । | संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, शिमला । | 17.11.07 | 16.1.08 |
| 17 | श्री राजीव पथरिया, वरिष्ठ विषेश पत्रकार, पंजाब केसरी, ब्यौरो, शिमला, जिला शिमला । | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कूल्लु | 14.11.07 | 22.12.07 |
| 18 | श्री कमल किशोर, मकान न0 48, गली न0 3 मिडल बाजार, शिमला | संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, शिमला । | 13.12.07 | 14.7.08 |
| 19 | श्री चन्दू लाल, मकान न0 37/5 जतोग, शिमला | अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, शिमला । | 17.12.07 | 18.2.08 |
| 20 | श्री पुरन चन्द, सपुत्र श्री विधि चन्द, गांव व डाकघर सतलाई, वरास्ता ढली, जिला शिमला । | प्रधान, ग्राम पंचायत सतलाई, वरास्ता ढली, जिला शिमला । | 22.12.07 | 29.1.08 |
| 21 | श्री आई0 एस0 चन्देल, सेवार्निवृत,भा0प्र0अ0, चन्देल निवास,नजदीक इन्जन घर, सन्जौली, जिला शिमला । | सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, जिला शिमला । | 29.12.07 | 6.2.2008 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | श्री मति त्रिप्ता पुरी पत्नी श्री सुभाष पुरी निवासी गांव एवं डाकघर जसौर तहसील नूरपुर, जिला कांगडा ।<br><br>द्वारा<br><br>श्री विवके सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, शिमला, बिर काटेज, विकास नगर, शिमला.9 | अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल, हि0 प्र0 लो0 नि0 वि0, जोगिन्दर नगर । | 6.1.08 | 25.2.08 |
| 23 | श्री विजय शर्मा, गांव सुनोग, डाकघर थरोच, तहसील, चौपाल, जिला शिमला । | प्राधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, थरोच, जिला शिमला । | 16.1.08 | 13.3.08 |
| 24 | पूजा शर्मा, सपुत्री श्री रमेश चन्द शर्मा, कमल कुंज भवन, शिव नगर, टूटू, जिला शिमला । | मुख्याध्यापक, राजकीय माध्यमिक पाठशाला, दौन्ती, तहसील काण्डघाट, जिला सोलन, हि0 प्र0 । | 23.1.08 | 3.3.08 |
| 25 | श्री आई0 एस0 चन्देल, सेवार्निवृत,भा0प्र0अ0, चन्देल निवास,नजदीक इन्जन घर, सन्जौली, जिला शिमला । | सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, जिला शिमला । | 21.1.08 | 6.2.2008 |
| 26 | श्री पुरन चन्द, सपुत्र श्री विधि चन्द, गांव व डाकघर सतलाई, वरास्ता ढली, जिला शिमला । | अधिक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, शिमला मण्डल, जिला शिमला । | 17.12.07 | 29.2.08 |
| 27 | श्री पुरन चन्द, सपुत्र श्री विधि चन्द, गांव व डाकघर सतलाई, वरास्ता ढली, जिला शिमला । | अतिरिक्त महा निर्देशक (प्रवर्तन),खलीनी, शिमला । | 17.12.07 | 29.2.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | श्री पुरन चन्द, सपुत्र श्री विधि चन्द, गांव व डाकघर सतलाई, वरास्ता ढली, जिला शिमला । | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, शिमला । | 17.12.07 | 29.2.08 |
| 29 | श्री राम आसरा सपुत्र श्री राम सिंह, मार्फत श्री अमर सिंह, गांव चैना, डाकघर ढली, जिला शिमला । | सयुंक्त आयुक्त,नगर निगम, शिमला । | 18.2.08 | 27.3.08 |
| 30 | श्री विकास शर्मा, सपुत्र श्री राम स्वरूप शर्मा, मार्फत दुकान न0 3 प्रेम निवास, वालूगंज, जिला शिमला । | प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ पाठशाला, बथरा, तहसील जसवां, जिला कांगडा । | 18.2.08 | 29.3.08 |
| 31 | श्री मुनिष शर्मा सपुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा, आनन्द लॉज, जाखू, जिला शिमला । | एस0डी0पी0ओ0, सुन्दर नगर, जिला मण्डी । | 3.3.08 | 29.3.08 |
| 32 | श्री डी0 के0गुप्ता, ए0 6 ब्लाक, सेट न0 16, विकासनगर, शिमला | अधिशासी अभियन्ता, हिमुडा, मण्डल न0 2, कसुम्पटी, शिमला | 22.2.08 | 8.4.08 |
| 33 | श्री विश्वेश्वर नेगी, मार्फत सहकारी बैंक, रामपुर, जिला शिमला | अधिशासी अभियन्ता, हि0 प्र0 लो0 नि0 वि0, रामपुर, जिला शिमला | 19.3.08 | 23.4.08 |
| 34 | श्री शिव राम ठाकुर, गांव बढई, डाकघर तारादेवी, तहसील व जिला शिमला | सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, जिला शिमला 9 | 26.3.08 | 10.4.08 |
| 35 | श्री विश्वेश्वर नेगी, मार्फत सहकारी बैंक, रामपुर, जिला शिमला | अधिशासी अभियन्ता, हि0 प्र0 लो0 नि0 वि0, रामपुर, जिला शिमला | 19.3.08 | 23.4.08 |
| 35 | श्री चन्दु लाल चौहान, गांव बनकोटी, डाकघर थानेधार, जिला शिमला | मुख्याध्यापक, राजकीय उच्च पाठशाला, थानेधार, जिला शिमला | 29.3. 08 | 24.4.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **जिला सिरमौर** | | | |
| 1 | श्री वलराज मल्हौत्रा, मकान न0 79/1, बार्ड न0 6 नजदीक यू0वी0आई0, पावंटा साहिब | उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), सिरमौर | 29.6.07 | 20.8.07 |
| 2 | श्री भीमा नन्द, जन एकता समिति, वटामण्डी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हि0 प्र0 | राज्य शहरी योजनाकार, शिमला –9 | 16.11.07 | 4.12.07 |
| 3 | श्री सुबोध अभी, जन एकता समिति, वटामण्डी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हि0 प्र0 | अधिशासी अभियन्ता, बि0 एण्ड आर0 मण्डल, हि0 प्र 0 लो0नि0वि0, पांवटा साहिब, सिरमौर | 21.11.07 | 4.12.07 |
| 4 | श्री सुबोध अभी, जन एकता समिति, वटामण्डी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हि0 प्र0 | अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल, हि0 प्र 0 लो0नि0वि0, सोलन | 16.1.08 | 18.2.08 |
| 5 | श्री सुबोध अभी, जन एकता समिति, वटामण्डी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हि0 प्र0 | मण्डलीय लेखा अधिकारी, सिंचाई एवं स्वास्थ्य विभाग, सोलन | 2.2.08 | 22.8.08 |
| 6 | श्री देव प्रकाश, माता–पिता अध्यापक संघ, राजकीय माध्यमिक पाठशाला, भुजौड, जिला सिरमौर हि0 प्र0 | अबर सचिव, ( प्रारम्भिक शिक्षा), हि0 प्र0 सचिवालय, शिमला | 4.2.08 | 1.3.08 |
| 7 | श्री एम0 एस0 कालरा, सचिव, सिरमौर कन्जुयमर प्रोटेक्शन सोसाईटी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर हि0 प्र0 | अबर सचिव, ( लो0नि0), हि0 प्र0 सचिवालय, शिमला | 3.3.2008 | 16.6.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | श्री राजेश कुमार, कार्यालय सचिव, सिरमौर 147/5, आई0टी0आई0 के पीछे, शमसेरपुर, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर हि0 प्र0 | अधिशासी अभियन्ता, हि0 प्र0 लो0 नि0 वि0, शिलाई, जिला सिरमौर | 4.3.08 | 16.7.08 |
| 9 | श्री एम.एस. कालरा, शिवचन्द्रा निवास, आई0टी0आई0 के पीछे, शमसेरपुर, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर हि0 प्र0 | 1 उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) पावंटा साहिब, जिला सिरमौर हि0 प्र0<br>2 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर हि0 प्र0 | 24.3.08 | 9.4.08 |
| | **जिला सोलन** | | | |
| 1 | श्री एम0पी0 हरीसन, जी0पी0ए0, श्रीमति करोल हाकिम, चम्बाघाट, सोलन हि0 प्र0 | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, सोलन | 2.4.07 | 16.5.07 |
| 2 | श्री पवन कुमार ठाकुर, भागल निवास, सामने, पुराना आर0टी0 ओ0 सुबाथु रोड, सपरून, सोलन हि0 प्र0 | जिला उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), चम्बाघाट, सोलन | 25.4.07 | 17.5.07 |
| 3 | श्री बृज कुमार शर्मा, भा0प्र0से0, सेवानिवृत, मकान न0 236, फेस.2, हाउसिगं बोर्ड, बददी, सोलन हि0 प्र0 | जन सूचना अधिकारी, हिमूडा, निगम बिहार, शिमला | 16.5.07 | 5.6.07 |
| 4 | श्री राजेश कुमार सपुत्र श्री अमर दत्त, गांव मातीयूल, डाकघर गलनाग, तहसील व जिला सोलन हि0 प्र0 | सहायक अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य,उप मण्डल न0 3 जिला सोलन | 28.5.07 | 31.7.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | श्री जितेन्द्र कुमार सपुत्र स्वर्गिय श्री जीत राम निवासी व गांव रामपुर डाकघर रामपुर तहसील कसौली, जिला सोलन हि0 प्र0 | प्रधान व सचिव, ग्रम पंचायत बुघर क्यानतन, उप तहसील कृष्णागढ | 6.9.07 | 29.9.07 |
| 6 | सरीता मार्फत वत्रा निवास, नजदीक राजकीय पी0जी0 कॉलेज, राजगढ रोड सोलन हि0 प्र0 | प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ पाठशाला (Boys), सोलन | 6.12.07 | 26.12.07 |
| 7 | सरीता मार्फत वत्रा निवास, नजदीक राजकीय पी0जी0 कॉलेज, राजगढ रोड सोलन हि0 प्र0 | प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ पाठशाला (Boys), सोलन | 6.12.07 | 26.12.07 |
| 8 | सरीता मार्फत वत्रा निवास, नजदीक राजकीय पी0जी0 कॉलेज, राजगढ रोड सोलन हि0 प्र0 | प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ पाठशाला (Girls), सोलन | 6.12.07 | 26.12.07 |
| 9 | डा0 मिना राजपुत पत्नी श्री जी0एस0 राजपुत, रेलवे स्टेशन, सोलन हि0 प्र0 | संयुक्त निदेशक, शिक्षा, शिमला 1 | 20.12.07 | 16.1.08 |
| 10 | श्री वेद प्रकाश, गांव व डाकघर रामपुर, तहसील कसौली, सोलन हि0 प्र0 | खण्ड विकास अधिकारी, तहसील कसौली, जिला सोलन | 7.1.08 | 16.1.08 |
| | **जिला उना** | | | |
| 1 | श्री राहुल कोहली, 58, चन्द्रलोक, कोऑप्ररेटिप हाउस बिल्डिंग सोसाईटी लिमिटेड, बार्ड न04 उना हि0 प्र0 | सहायक पजींयक, सहकारी सभाएं, उना, हि0 प्र0 | 18.9.07 | 10.10.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | श्री कृष्ण पाल सूद, (सेवानिवृत मुख्याध्यापक) गांव व डाकघर बसडेहरा, बह्मणा, बार्ड न0 4 जिला उना | सचिव, नगर पंचायत, मेहतपुर | 23.10.07 | 5.12.07 |
| 3 | श्री सुरजीत सिहं सपुत्र श्री बलवन्त सिहं, गांव भलेर, डाकघर कलरूही, तहसील अम्ब, जिला उना | मुख्याध्यापक, राजकीय माध्यमिक पाठशाला, कुदेत, डाकघर रपोह मिस्रन, तहसील अम्ब, जिला उना | 16.11.07 | 3.12.07 |
| 4 | श्री राम लुभाया सपुत्र श्री चरंजी लाल गांव व डाकघर गगरेट, तहसील अम्ब, जिला उना | प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, मरवारी | 13.11.07 | 13.12.07 |
| 5 | श्री राम लुभाया सपुत्र श्री चरंजी लाल गांव व डाकघर गगरेट, तहसील अम्ब, जिला उना | जन सूचना अधिकारी हि0 प्र0 एक्स0 सर्विसमेन कोआपोरेशन, हमीरपुर | 19.11.07 | 27.12.07 |
| 6 | श्री तिलक राज सपुत्र वकील सिहं, निवासी गांव चलेट, तहसील अम्ब, जिला उना | सहायक पजींयक, सहकारी सभाएं, उना, हि0 प्र0 | 8.1.08 | 25.2.08 |
| 7 | श्री टी0आर0 रतन, गांव व डाकघर बसडेहरा, जिला उना | 1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, उना<br>2. सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, कांगडा | 17.1.08 | 20.8.08 |
| 8 | श्री धर्म सिहं, गांव घरेट, डाकघर कोहदरा, तहसील बंगाणा, जिला उना | अधिशासी अभियन्ता (डी0), सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल, उना | 3.3.08 | 27.3.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **राज्य से बाहर** | | | |
| 1 | श्री बी0बी0 अग्रवाल, वरिष्ठ प्रबन्धक (सेवानिवृत) मार्फत डा0 एल0 एम0अग्रवाल, आर0एस0 ओ0, बी0 3, न्यू मैडिकल इनकलेव, शंकराचार्य कालोनी, बनारस हिन्दु युनीर्वसिटि, बाराणसी | विधि अधिकारी, एच0पी0टी0डी0सी0, शिमला 1 | 24.10.07 | 25.3.08 |
| 2 | श्री निगम कुमार वालिया सपुत्र श्री आर0सी0 वालिया, मकान न0 1377, बैडसाही बैग गुरूद्वारा, अम्बाला कैंट | आयुक्त, आवकारी एवं कराधान विभाग, शिमला. 171009 | 7.2.08 | 7.4.08 |
| 3 | श्री निगम कुमार वालिया सपुत्र श्री आर0सी0 वालिया, मकान न0 1377, बैडसाही बैग गुरूद्वारा, अम्बाला कैंट | अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रिय उच्च मार्ग मण्डल, हि0 प्र0 लो0नि0वि0 सोलन | 7.2.08 | 7.4.08 |
| 4 | श्री पंकज मोहन, अधिवक्ता पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, मकान न0 405, सेक्टर 30–ए चण्डीगढ | अधिक्षक ग्रेड–2 कार्यालय तहसीलदार, कसौली जिला सोलन हि0 प्र0 | 22.10.07 | 16.11.07 |
| 5 | श्री रमेश चन्द भारद्वाज, 126 मयुर बिहार, सेक्टर 48 ए चण्डीगढ 160047 | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, उना | 31.10.07 | 2.1.2008 |
| 6 | श्री राजदीप सिहं पठानिया सपुत्र श्री रघुनाथ सिंह, गांव लेंगेरा, डाकघर दुनेरा, तहसील धरकलन, जिला गुरदासपुर | बाल विकास अधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगडा | 2.2.08 | 19.9.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | डा0 जगदीश राय, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य विभाग,(सेवानिवृत) पंचकुला, हरियाणा | अबर सचिव (स्वास्थ्य), हि0 प्र0 सचिवालय, शिमला | 16.4.07 | 9.5.07. |
| 8 | श्री हरी कुमार, पलाथडका, 671551 कसरागौड, केरला | पंजीयक, जे0पी0यूनिवर्सिटि, बाकनाघाट, जिला सोलन | 11.3.08 | 6.5.08 |
| 9 | डा0 प्रकाश चन्द, मकान न0 2 न्यू पंजाब माता नगर, नजदीक पखोवल रोड लुधियाना 141002 | पंजीयक, हि0प्र0 विश्वविद्यालय, समरहिल, शिमला | 14.3.08 | 9.4.08 |
| 10 | श्री बलवन्त सिंह, मकान न0 584, फेज– 1, एस0ए0एस0 नगर, मोहाली | संयुक्त निदेशक, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला | 17.4.07 | 8.5.07. |
| 11 | श्री राम कुमार मकान न0 618, फेज–1 मोहाली पंजाब | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कूल्लू हि0 प्र0 | 28.2.08 | 24.3.08 |
| 12 | श्री डी0सी0 संखला,भा0प्र0से0 (सेवानिवृत) 27 राजपुर रोड, सिविल लाईन, न्यू देहली 54 | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, चम्बा | 4.2.08 | 4.3.08 |
| 13 | श्री वी0सी0सूद 447, सेक्टर–7 पंचकूला 134109 | उप निदेशक (उच्च शिक्षा) जिला शिमला | 19.3.08 | 6.6.08 |
| 14 | श्री जे0एन0 मेनन, गांव पासीवाल, डाकघर भनम, तहसील आनन्दपुर साहिव, जिला रोपर 140126 | संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा) जिला शिमला | 30.10.07 | 22.1.08 |
| 15 | श्री राज कुमार, मकान न0 9 मार्केट ब्लॉक नंगल टाउनसिप, जिला रोपर | वन मण्डलाधिकारी, जोगिन्दर नगर जिला मण्डी | 28.2.08 | 14.3.08 |

*****